SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) पर प्रतिवेदन

उत्तर प्रदेश सरकार

वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या-7

(निष्पादन लेखापरीक्षा-वाणिज्यिक)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)
पर प्रतिवेदन

उत्तर प्रदेश सरकार

वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या-7

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
प्राक्कथन	**--**	**v**
कार्यकारी सारांश	**--**	**vii-x**
अध्याय-I: प्रस्तावना	**--**	**1-9**
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)	1.1	1-2
प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)	1.2	2-3
योजनाओं के लिए वित्त-पोषण का स्वरूप	1.3	3-4
विभिन्न हितधारकों की भूमिका	1.4	4-7
वितरण कम्पनियों का संगठनात्मक ढाँचा	1.5	7
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.6	7
लेखापरीक्षा मानदण्ड	1.7	8
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र, नमूना और कार्यविधि	1.8	8-9
अभिस्वीकृति	1.9	9
अध्याय-II: नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन	**--**	**11-18**
योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नियोजन	2.1	11
डीपीआर में ऑफ-ग्रिड संयोजनों को सम्मिलित न करना	2.1.1	11-12
वित्तीय प्रबंधन	2.2	12
निर्धारित महत्वपूर्ण पड़ाव प्राप्त न कर पाने के कारण अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करने में अक्षमता	2.2.1	12-15
जीएसटी/राज्य करों के त्रुटिपूर्ण/अपर्याप्त दावे	2.2.2	15-16
आरईसी से अधिक ऋण पर परिहार्य ब्याज दायित्व के कारण हानि	2.2.3	16-17
आरईसी ऋण पर ब्याज का अधिक भुगतान	2.2.4	17
निष्कर्ष	-	18
अध्याय-III: योजनाओं के अन्तर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन	**--**	**19-39**
योजनाओं के अन्तर्गत कार्यक्षेत्र	3.1	19
योजनाओं के अन्तर्गत क्रियान्वयन की स्थिति	3.1.1	19-22
डीडीयूजीजेवाई योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन	3.2	22
अनावश्यक मदों के क्रियान्वयन के कारण परिहार्य व्यय	3.2.1	22-23

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
डीपीआर तैयार करने में लगी फर्मों को अधिक भुगतान	3.2.2	23-24
कृषि और गैर-कृषि फीडरों के पृथक्करण का उद्देश्य पूर्ण न होना	3.2.3	24
उपभोक्ताओं के परिसरों में मीटरों के संस्थापन हेतु दोहरा भुगतान	3.2.4	24-25
सौभाग्य योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन	3.3	25
कार्यक्षेत्र के अनुसार आवश्यक न होने वाली मदों का क्रियान्वयन	3.3.1	25-26
विद्युत सुरक्षा निरीक्षण शुल्क के रूप में टीकेसीज़ को अधिक भुगतान	3.3.2	26-27
सैग/जम्परिंग के मद में टीकेसीज़ को अधिक भुगतान	3.3.3	27-28
समान प्रकृति के कार्य के क्रियान्वयन के कारण निष्फल व्यय	3.3.4	28-30
कोई भी सेवा संयोजन निर्गत किए बिना अवसंरचना का निर्माण	3.3.5	30
अपात्र उपभोक्ताओं को संयोजन निर्गत करना	3.3.6	31
स्मार्ट मीटरों के स्थान पर स्थैतिक ऊर्जा मीटरों का संस्थापन	3.3.7	31-32
टीकेसीज़ को अधिक भुगतान	3.3.8	32-35
दोहरे एसपीवी संयोजनों के लिए टीकेसीज़ को अधिक भुगतान	3.3.9	35-36
टीकेसीज़ के पास पड़ी विभागीय रूप से निर्गत सामग्री की लागत नहीं वसूली गयी	3.3.10	36-37
अनिच्छुक परिवारों का डाटा नहीं रखा गया	3.3.11	37
अपर्याप्त एसएलएससी बैठकें	3.3.12	38
अपर्याप्त दिशा बैठकें	3.3.13	38-39
निष्कर्ष	-	39
अध्याय-IV: लाभार्थियों का सर्वेक्षण	**--**	**41-45**
प्रस्तावना	4.1	41-42
लाभार्थियों के सर्वेक्षण का परिणाम	4.2	42
लाभार्थियों को एलईडी लैंपों और ऊर्जा मीटरों का प्रावधान	4.2.1	42
विद्युत आपूर्ति में वोल्टेज उतार-चढ़ाव	4.2.2	43

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
वितरण ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता	4.2.3	43
गाँवों में वोल्टेज स्टेबलाइजर्स/इन्वर्टर्स का उपयोग	4.2.4	43
उपभोक्ता वस्तुओं के उपयोग पर प्रभाव	4.2.5	43
बच्चों के अध्ययन के घंटों पर प्रभाव	4.2.6	44
रात्रि में गतिशीलता/सुरक्षा पर प्रभाव	4.2.7	44
विद्युत आपूर्ति पर प्रभाव	4.2.8	44
निष्कर्ष	-	45

परिशिष्टियाँ	संख्या	पृष्ठ
लेखापरीक्षित मण्डलों और खण्डों को दर्शाने वाला विवरण	1.1	47-48
विभागीय रूप से आपूर्तित सामग्रियों पर एसजीएसटी का अधिक दावा दर्शाने वाला विवरण	2.1	49-51
आरईसी ऋणों पर ब्याज के अधिक भुगतान को दर्शाने वाला विवरण	2.2	52-53
संक्षेपणों की सूची		55-56

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिए तैयार किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के इस प्रतिवेदन में 2014-15 से 2022-23 (दिसम्बर 2022 तक) की अवधि को आच्छादित करते हुए 'दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम सम्मिलित हैं।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप सम्पादित की गई है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

हमने यह लेखापरीक्षा क्यों की?

ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार द्वारा दिसम्बर 2014 में प्रारम्भ की गई दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) का उद्देश्य ग्रामीण विद्युत अवसंरचना को सुदृढ़ करना था। इसके प्रमुख घटकों में कृषि और गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण, उप-पारेषण और वितरण प्रणालियों का संवर्धन, तथा वितरण ट्रांसफार्मरों, फीडरों और उपभोक्ताओं की मीटरिंग सम्मिलित थी। इस योजना ने अपने ग्रामीण विद्युतीकरण घटक के अन्तर्गत राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के लक्ष्यों को भी समाहित कर लिया था।

अक्टूबर 2017 में प्रारम्भ की गई प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) सर्वव्यापी घरेलू विद्युतीकरण पर केंद्रित थी। इसका उद्देश्य सभी ग्रामीण परिवारों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और विद्युत संयोजन प्रदान करना, सुदूर तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए सोलर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) आधारित एकल प्रणाली स्थापित करना एवं आर्थिक रूप से गरीब शहरी परिवारों को जोड़ना था।

उत्तर प्रदेश में ये योजनाएं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के अन्तर्गत पाँच राज्य विद्युत वितरण कम्पनियों (वितरण कम्पनियाँ) में से चार विद्युत वितरण कम्पनियों के माध्यम से कार्यान्वित की गईं।

निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के उद्देश्य से की गई थी कि क्या डीडीयूजीजेवाई योजना के अन्तर्गत सभी गाँवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया गया, जिसमें कृषि और गैर-कृषि फीडरों के पृथक्करण के साथ उप-पारेषण और वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण और संवर्धन तथा वितरण ट्रांसफार्मरों, फीडरों और उपभोक्ताओं की मीटरिंग सम्मिलित थी। इसने यह भी जाँचा कि क्या आर्थिक रूप से गरीब गैर-विद्युतीकृत परिवारों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और निःशुल्क विद्युत संयोजन प्रदान करके एवं सुदूर तथा दुर्गम क्षेत्रों में, जहाँ ग्रिड विस्तार व्यावहारिक या लागत प्रभावी नहीं था, एसपीवी आधारित एकल प्रणाली स्थापित करके, सौभाग्य योजना के अन्तर्गत घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त किया गया। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने यह आकलन किया कि क्या ऊर्जा से संयोजित परिवार विद्युत का उपयोग करने और योजनाओं के अभीष्ट लाभ प्राप्त करने में सक्षम थे।

इस लेखापरीक्षा में क्या सम्मिलित किया गया है?

अगस्त 2022 से मार्च 2023 तक सम्पन्न निष्पादन लेखापरीक्षा ने 2014-15 से 2022-23 (दिसम्बर 2022 तक) की अवधि के लिए डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति का आकलन किया। लेखापरीक्षा में उत्तर प्रदेश सरकार (उ.प्र. सरकार) के स्तर, यूपीपीसीएल, चारों वितरण कम्पनियों के मुख्यालय, 21 मण्डल कार्यालयों और 66 वितरण खण्डों के

अभिलेख आच्छादित थे, जिसमें 16 जिलों को प्रतिस्थापन के बिना सरल यादृच्छिक नमूनाकरण के माध्यम से चुना गया था। डीडीयूजीजेवाई योजना में समाहित 12वीं योजना आरजीजीवीवाई से सम्बन्धित प्रेक्षणों को सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि वे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के वर्ष 2018 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 2 में सम्मिलित थे।

हमने क्या पाया और हम क्या संस्तुति करते हैं?

सौभाग्य योजना के अन्तर्गत ऑफ-ग्रिड संयोजनों को सम्मिलित करने के स्पष्ट अधिदेश के बावजूद, डीपीआर में ऐसे प्रावधानों को सम्मिलित नहीं किया गया।

दोनों योजनाओं में निर्धारित महत्वपूर्ण पड़ावों, यथा समय से परियोजना पूर्ण होना, समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एण्ड सी) हानियों में कमी तथा राज्य सरकार द्वारा राजस्व सब्सिडी को अग्रिम में अवमुक्त करना, प्राप्त करने पर ऋणों को अनुदान में परिवर्तित का प्रावधान किया गया था। तथापि, परियोजना क्रियान्वयन में 29 से 49 माह का विलम्ब, एटी एण्ड सी हानियों में कमी के लक्ष्य को पूर्ण करने में असमर्थता और मीटर-युक्त उपभोग के आधार पर अग्रिम राजस्व सब्सिडी का दावा करने में असमर्थता के कारण वितरण कम्पनियाँ कुल ₹ 2,002.61 करोड़ के ऋणों (₹ 4,005.22 करोड़ का 50 प्रतिशत) को अनुदान में परिवर्तित करने का लाभ नहीं उठा सकीं।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) तथा राज्य करों के लिए त्रुटिपूर्ण और अपर्याप्त दावों के कारण वित्तीय विसंगतियाँ हुईं, जिनमें अधिक दावे तथा प्रतिपूर्ति हेतु दावा न करना सम्मिलित हैं। उदाहरण के लिए, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल) ने विभागीय रूप से आपूर्तित सामग्रियों पर त्रुटिपूर्वक जीएसटी सम्मिलित किया, जिससे परियोजना लागत ₹ 3.63 करोड़ से बढ़ गई। परिणामस्वरूप, पीवीवीएनएल ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) से सीजीएसटी अंश के लिए ₹ 1.09 करोड़ (₹ 1.82 करोड़ x 60 प्रतिशत) तथा उ.प्र. सरकार से एसजीएसटी के लिए ₹ 1.81 करोड़ का अधिक दावा किया। अग्रेतर, उ.प्र. सरकार से समय पर राज्य करों का दावा न करने के कारण पीवीवीएनएल कुल राज्य करों की प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सका; राज्य करों की प्रतिपूर्ति के मद में उसे उ.प्र. सरकार से ₹ 4.21 करोड़ अभी प्राप्त होना शेष था (दिसम्बर 2023)। *लेखापरीक्षा संस्तुति करता है कि वितरण कम्पनियाँ, करों का सटीक आकलन और राज्य सरकार एवं आरईसी से उनका समय पर दावा, सुनिश्चित कर सकतीं हैं।*

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीयूवीवीएनएल) द्वारा लिए गये ₹ 66 करोड़ के अधिक ऋणों के कारण अगस्त 2021 से जून 2022 की अवधि के लिए ₹ 3.94 करोड़ के परिहार्य ब्याज दायित्वों का वहन करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, पीवीवीएनएल द्वारा लागू दर का सत्यापन किए बिना ब्याज के भुगतान के परिणामस्वरूप आरईसी को ₹ 7.19 करोड़ के ब्याज का

अधिक भुगतान किया गया। *लेखापरीक्षा संस्तुति करता है कि वितरण कम्पनियाँ, अपनी वास्तविक ऋण आवश्यकताओं का पूरी तरह से आकलन कर सकतीं हैं तथा अधिक ब्याज भुगतान को रोकने के लिए वित्त-पोषण एजेंसी के साथ स्वीकृत शर्तों का दृढ़ता से पालन कर सकतीं हैं।*

डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजनाओं के लिए निविदा दस्तावेजों में सम्मिलित कार्यक्षेत्र के अनुसार, प्री-स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट (पीसीसी) पोल पिट को ग्रामीण क्षेत्रों में खुदाई की गई मिट्टी के साथ मिश्रित 200 मिलीमीटर के औसत आकार के बोल्डर से भरा जाना चाहिए तथा सीमेंट कंक्रीट ग्राउटिंग को एच-बीम तथा ट्यूबलर पोल के समान, डबल पोल, ट्रिपल पोल, कट पॉइंट पोल, डीटी उपकेन्द्र पोल, तथा जलभराव वाले क्षेत्रों में लगाए गए पोल पर किया जाना चाहिये। तथापि, वितरण कम्पनियों ने सभी पीसीसी पोलों के लिए सीमेंट कंक्रीट ग्राउटिंग के कार्य को बिल ऑफ क्वांटिटी (बीओक्यू) में सम्मिलित किया था। इससे डीडीयूजीजेवाई योजना के अन्तर्गत 12.75 लाख एकल पीसीसी पोल (₹ 125.35 करोड़) और सौभाग्य योजना के अन्तर्गत 11.66 लाख एकल पीसीसी पोल (₹ 277.09 करोड़) के सीमेंट कंक्रीट ग्राउटिंग का परिहार्य क्रियान्वयन हुआ।

इसके अतिरिक्त, कार्य प्रदान करने के नियम एवं शर्तों के उल्लंघन में, डीपीआर बनाने के लिए स्थापना प्रभार और उपकरण एवं संयंत्र प्रभार को हटाए बिना भुगतान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.33 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

डीडीयूजीजेवाई योजना का एक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्टरिंग सुनिश्चित करने हेतु कृषि और गैर-कृषि फीडरों को पृथक करना था। तथापि, फीडरों के पृथक्करण का उद्देश्य बड़े पैमाने पर अप्राप्त था, क्योंकि तीन वितरण कम्पनियों के सात नमूना जिलों में अभी भी 71.22 प्रतिशत कृषि उपभोक्ता गैर-कृषि फीडरों से जुड़े हुए थे।

टीकेसीज़ के साथ निष्पादित अनुबंधों के नियम एवं शर्तों के अनुसार, विद्युत निरीक्षण लागत अनुबंध मूल्य में सम्मिलित की गई थी। तथापि तीन वितरण कम्पनियों ने टीकेसीज़ को ₹ 9.16 करोड़ की विद्युत सुरक्षा निरीक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति की। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के पश्चात्, दो वितरण कम्पनियों ने ₹ 5.79 करोड़ की वसूली की, जिसके परिणामस्वरूप टीकेसीज़ को ₹ 3.37 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

इसके अतिरिक्त, दो वितरण कम्पनियों ने सैग, जम्परिंग और अपव्यय हेतु अस्वीकार्य भुगतान किये, जिसके परिणामस्वरूप टीकेसीज़ को ₹ 1.09 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा ने सौभाग्य योजना के अन्तर्गत टीकेसीज़ द्वारा निर्गत और दावा किए गए संयोजनों में दोहरापन पाया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 26.65 करोड़

का अधिक भुगतान हुआ। *लेखापरीक्षा संस्तुति करता है कि वितरण कम्पनियाँ, टीकेसीज़ के कार्य के अनुश्रवण के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित कर सकतीं हैं, जिससे दोहरे संयोजनों की पहचान की जा सके और टीकेसीज़ को अधिक भुगतान रोका जा सके।*

राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एसएलएससी) और जिला विकास समन्वय तथा अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठकों की अपर्याप्त संख्या ने नियमित अनुश्रवण और निरीक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। *लेखापरीक्षा संस्तुति करता है कि उ.प्र. सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि एसएलएससी और दिशा की बैठकें मानदण्डों के अनुसार आयोजित की जाएं, ताकि समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।*

लेखापरीक्षा द्वारा 16 जिलों के 2,208 लाभार्थियों तथा 224 गाँवों को सम्मिलित करते हुए एक सर्वेक्षण किया गया था। अधिकांश लाभार्थियों ने ऊर्जा मीटर प्राप्त करने, स्थिर विद्युत आपूर्ति, उपभोक्ता वस्तुओं तक बेहतर पहुंच, बच्चों के अध्ययन के घंटों में वृद्धि, तथा रात्रि में गतिशीलता एवं सुरक्षा में वृद्धि की पुष्टि की। इसी प्रकार, अधिकांश ग्राम प्रधानों ने अपने गाँवों में पर्याप्त संख्या में वितरण ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता की पुष्टि की और कहा कि वोल्टेज स्टेबलाइजर्स/इनवर्टर्स का कोई उपयोग नहीं होता है। तथापि, कुछ लाभार्थियों ने वोल्टेज में उतार-चढ़ाव और एलईडी लैंप न मिलने की सूचना दी।

अध्याय-I

प्रस्तावना

अध्याय-I

प्रस्तावना

यह अध्याय दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) का विहंगावलोकन प्रदान करता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युतीकृत करने और सभी परिवारों तक बिजली की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा आरम्भ की गई थीं। निष्पादन लेखापरीक्षा इन योजनाओं के अभीष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति की जाँच करती है, जिसमें गाँवों का विद्युतीकरण, कृषि और गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण, उप-पारेषण एवं वितरण प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण और संवर्धन, तथा सभी परिवारों में, विशेष रूप से सुदूर क्षेत्रों में विद्युत संयोजन का प्रावधान सम्मिलित है। निष्पादन लेखापरीक्षा में 2014-15 से 2022-23 तक की अवधि को आच्छादित किया गया है। लेखापरीक्षा के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार (उ.प्र. सरकार), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) और विभिन्न वितरण कम्पनियों के अभिलेखों की जाँच की गई। यह अध्याय विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों तथा निष्पादन लेखापरीक्षा के संचालन के लिए अपनाई गई लेखापरीक्षा पद्धति को भी रेखांकित करता है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

1.1 ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार ने दिसम्बर 2014 में, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) प्रारम्भ की। इस योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण के साथ, कृषि और गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण, ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और संवर्धन तथा वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी), फीडर और उपभोक्ताओं की मीटरिंग के घटक सम्मिलित थे। इस योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण घटक के अन्तर्गत राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के लक्ष्यों को समाहित कर लिया गया, जिससे आरजीजीवीवाई के अनुमोदित परिव्यय को डीडीयूजीजेवाई में आगे बढ़ाया गया।

परिचालन दिशानिर्देशों को अनुमोदन प्रदान करने, कार्यक्षेत्र को परिभाषित करने, डीपीआर/परियोजनाओं को स्वीकृत करने, योजना कार्यान्वयन का अनुश्रवण और समीक्षा करने, परियोजना निष्पादन के लिए विस्तार प्रदान करना और राज्यों को अतिरिक्त अनुदान का अनुमोदन देने के लिए सचिव,

एमओपी की अध्यक्षता में दिसम्बर 2014 में एक अनुश्रवण समिति[1] का गठन किया गया था। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) को एमओपी के व्यापक मार्गदर्शन के अन्तर्गत डीडीयूजीजेवाई के संचालन और कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया था। आरईसी, एमओपी से धन प्राप्त करने और आगे यूटिलिटी को प्रदान करने के लिए उत्तरदायी था।

उत्तर प्रदेश में, यह योजना उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के अन्तर्गत पाँच राज्य विद्युत वितरण कम्पनियों[2] (वितरण कम्पनियाँ) में से, कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी[3] (केस्को) को छोड़कर, चार में कार्यान्वित की गई थी। डीडीयूजीजेवाई के कार्यान्वयन के लिए आरईसी, उत्तर प्रदेश सरकार (उ.प्र. सरकार) और वितरण कम्पनियों के मध्य जुलाई 2016 में एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, परियोजनाओं को टर्नकी आधार पर निष्पादित किया जाना था, जिसमें अनुश्रवण समिति के अनुमोदन के अधीन, अपवादात्मक परिस्थितियों में आंशिक टर्नकी या विभागीय आधार का उपयोग करने का विकल्प था।

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)

1.2 मानव और सामाजिक-आर्थिक विकास में बिजली की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, भारत सरकार, ने ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी) के माध्यम से, अक्टूबर 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) तैयार की। इस योजना का उद्देश्य वितरण कम्पनियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी परिवारों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और विद्युत संयोजन प्रदान करके सर्वव्यापी घरेलू विद्युतीकरण को प्राप्त करना था।

सौभाग्य योजना के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हैं:

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत परिवारों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और विद्युत संयोजन प्रदान करना;

---

[1] सचिव, एमओपी (अध्यक्ष); विशेष सचिव/अपर सचिव, एमओपी; अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण; प्रधान सलाहकार (ऊर्जा), योजना आयोग/उत्तराधिकारी संगठन; संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग); संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय; संयुक्त सचिव, कृषि मंत्रालय; संयुक्त सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय; संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, एमओपी; संयुक्त सचिव (ग्रामीण विद्युतीकरण), एमओपी; और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी सम्मिलित हैं।

[2] मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एमवीवीएनएल), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीयूवीवीएनएल), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल), और कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी (केस्को)।

[3] चूँकि यह शहरी क्षेत्र को सम्मलित करता है।

(ii) सुदूर और दुर्गम गाँवों या मजरों, जहाँ ग्रिड विस्तार व्यावहारिक या लागत प्रभावी नहीं है, में गैर-विद्युतीकृत परिवारों के लिए सौर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) आधारित एकल प्रणाली स्थापित करना; और

(iii) शहरी क्षेत्रों में शेष सभी आर्थिक रूप से गरीब[4] गैर-विद्युतीकृत परिवारों को अंतिम-छोर तक कनेक्टिविटी एवं विद्युत संयोजन सुनिश्चित करना। गैर-गरीब शहरी परिवारों को इस योजना से बाहर रखा गया था।

उत्तर प्रदेश में, यह योजना केस्को को छोड़कर, पाँच में से चार वितरण कम्पनियों में कार्यान्वित की गई थी।

योजनाओं के लिए वित्त-पोषण का स्वरूप

1.3 डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजनाओं के लिए वित्त-पोषण तंत्र **तालिका 1.1** में उल्लिखित है।

तालिका 1.1: डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजनाओं का वित्त-पोषण तंत्र

एजेंसी	सहायता की प्रकृति	विशेष श्रेणी के राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के प्रकरण में सहायता की मात्रा (परियोजना लागत का प्रतिशत)
भारत सरकार	अनुदान	60 प्रतिशत
यूटिलिटी/राज्य अंशदान*	स्वयं का फण्ड	10 प्रतिशत
ऋण (एफआईज़/बैंक)	ऋण	30 प्रतिशत
भारत सरकार से निर्धारित महत्वपूर्ण पड़ावों की प्राप्ति पर अतिरिक्त अनुदान	अनुदान	कुल ऋण घटक (30 प्रतिशत) का 50 प्रतिशत अर्थात 15 प्रतिशत

[4] आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की रैंकिंग तीन चरणों में की गई। प्रथम चरण में, 14 मानदण्ड को पूरा करने वाले परिवार, जैसे कि मोटर चालित 2/3/4 पहिया वाहन/मछली पकड़ने की नाव, मशीनीकृत 3-4 पहिया कृषि उपकरण, ₹ 50,000 से अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड, परिवार का सदस्य सरकारी कर्मचारी, सरकार के साथ पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार, ₹ 10,000 प्रति माह से अधिक आय वाले परिवार का कोई भी सदस्य, आय/व्यावसायिक कर का भुगतान, पक्की दीवारों और छत वाले तीन या अधिक कमरे, एक रेफ्रिजरेटर/लैंडलाइन फोन का मालिक, एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि का मालिक, दो या अधिक फसल मौसमों के लिए 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि और कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ या अधिक भूमि होने पर, स्वतः ही बाहर कर दिया गया और उनका इस योजना के अन्तर्गत निःशुल्क विद्युत संयोजन के लिए विचार नहीं किया गया। चरण-II में, पाँच समावेशन मानदण्डों को पूरा करने वाले परिवार, यथा बिना आश्रय वाले घर, भिक्षा पर रहने वाले निराश्रित परिवार, मैनुअल मैला ढोने वाले परिवार, आदिम जनजातीय समूह और कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ मजदूर, योजना के अन्तर्गत निःशुल्क विद्युत संयोजन के लिए पात्र थे। चरण-III में, शेष परिवारों की पहचान अभाव संकेतकों का उपयोग करके सात आइटम बाइनरी स्कोरिंग मानदण्ड के माध्यम से की गई थी। अभाव संकेतक ऐसे परिवार थे जिनके पास केवल एक कमरा, कच्ची दीवार और कच्ची छत थी, 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं था, महिला प्रधान परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है, वे परिवार जिनमें विकलांग सदस्य हैं और कोई सक्षम वयस्क सदस्य नहीं है, एससी/एसटी परिवार, वे परिवार जिनमें 25 वर्ष से अधिक उम्र का कोई साक्षर वयस्क नहीं है और भूमिहीन परिवार जो अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा शारीरिक आकस्मिक श्रम से प्राप्त करते हैं।

एजेंसी	सहायता की प्रकृति	विशेष श्रेणी के राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के प्रकरण में सहायता की मात्रा (परियोजना लागत का प्रतिशत)
भारत सरकार द्वारा अधिकतम अनुदान (निर्धारित महत्वपूर्ण पड़ावों की प्राप्ति पर अतिरिक्त अनुदान सहित)	अनुदान	75 प्रतिशत

स्रोत: योजनाओं के दिशानिर्देश

[यूटिलिटी द्वारा न्यूनतम 10 प्रतिशत अंशदान आवश्यक था। तथापि, यदि वितरण कम्पनियाँ ऋण न लेने का विकल्प चुनती हैं तो उनका योगदान 40 प्रतिशत तक जा सकता है। ऐसे प्रकरणों में, निर्धारित महत्वपूर्ण पड़ावो को प्राप्त करने पर अधिकतम अतिरिक्त अनुदान तब भी 15 प्रतिशत होगा। ऋण घटक या तो आरईसी या अन्य वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाना था।]*

डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजनाओं के अन्तर्गत, एमओपी ने 2014-15 से 2021-22 के दौरान कार्यान्वित परियोजनाओं के लिए ₹ 19,424.21 करोड़[5] स्वीकृत किये।

विभिन्न हितधारकों की भूमिका

1.4 डीडीयूजीजेवाई योजना के अन्तर्गत विभिन्न हितधारकों की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व नीचे रेखांकित किये गये हैं:

अनुश्रवण समिति:

एमओपी द्वारा एक अनुश्रवण समिति का गठन किया गया था, जिसे यह अधिकार था कि वह:

- कार्यक्षेत्र सहित परिचालन दिशानिर्देशों को अनुमोदन दे और आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदित ढांचे के अन्तर्गत योजना के विभिन्न घटकों तथा उनके संशोधनों के संचालन के लिए आवश्यक नीतिगत निर्णय ले;
- डीपीआर/परियोजनाओं को स्वीकृति दे, और योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण व समीक्षा करे;
- परियोजना निष्पादन के लिए अपवादात्मक प्रकरणों में, श्रेष्ठता के आधार पर, प्रकरण-दर-प्रकरण आधारित, समय विस्तार दे, जहाँ नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण विलम्ब हुआ हो, परन्तु लागत वृद्धि न हुई हो;
- निर्दिष्ट परिणाम प्राप्त करने पर राज्यों को अतिरिक्त अनुदान अनुमोदित करे; और

[5] डीडीयूजीजेवाई के अन्तर्गत परियोजनाएं: ₹ 6,946.40 करोड़ (अंतिम अनुमोदन 03 जनवरी 2017 को, प्रारम्भ में 18 सितम्बर 2015 को ₹ 6,632.99 करोड़ का अनुमोदन दिया गया); और सौभाग्य के अन्तर्गत परियोजनाएं: ₹ 12,477.81 करोड़ (27 जुलाई 2018 को ₹ 6,188.24 करोड़ एवं 23 अक्टूबर 2018 को ₹ 6,289.57 करोड़)।

- पूर्ववर्ती आरजीजीवीवाई योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित प्रकरणों के सम्बन्ध में, 12 सितम्बर 2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 44/10/2011-आरई (खण्ड-III) के अन्तर्गत गठित अनुश्रवण समिति में निहित शक्तियों का प्रयोग करे।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी):

एमओपी के व्यापक मार्गदर्शन के अन्तर्गत योजना के संचालन और कार्यान्वयन के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया था। नोडल एजेंसी, अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित परियोजना लागत या आवंटित लागत, जो भी कम हो, के 0.5 प्रतिशत की दर से फीस पाने की अधिकारी थी।

नोडल एजेंसी की भूमिका थी कि वह:

- परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक दिशानिर्देशों और प्रारूपों को समय-समय पर अधिसूचित करे;
- अनुश्रवण समिति को प्रस्तुत करने से पहले डीपीआर का मूल्यांकन करे;
- अनुमोदन के लिए अनुश्रवण समिति की बैठकें आयोजित करने से सम्बन्धित सभी कार्यों का प्रबंधन करे;
- योजना के अनुदान घटक का प्रबंधन करे;
- डीपीआर प्रस्तुत करने और परियोजनाओं की एमआईएस को बनाए रखने के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल विकसित करे;
- कार्यों की गुणवत्ता सहित परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण करे; और
- परियोजना कार्यान्वयन के समवर्ती मूल्यांकन के लिए तृतीय पक्ष की सेवाओं या जनशक्ति को तैनात करे।

उत्तर प्रदेश सरकार (उ.प्र. सरकार):

उ.प्र. सरकार निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी थी:

- डीडीयूजीजेवाई के अन्तर्गत परियोजनाओं की संस्तुति करने के लिए समिति को सशक्त करने हेतु आरजीजीवीवाई परियोजनाओं के लिए विद्यमान राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एसएलएससी) की भूमिका को विस्तारित करना;
- यूटिलिटी को राजस्व सब्सिडी का अग्रिम भुगतान करना;
- राज्य में विद्युत वितरण से सम्बन्धित नीतिगत विषयों पर सहायता प्रदान करना;
- उपकेन्द्रों के लिए भूमि उपलब्ध कराना और अन्य सांविधिक अनापत्तियों की प्राप्ति के लिए सुविधा प्रदान करना;
- नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) घटक के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना;

- यदि यूटिलिटी अपने अंशदान की व्यवस्था करने में विफल रहती है तो, यूटिलिटी के अंशदान की व्यवस्था करना; और
- यदि यूटिलिटी प्रतिभूति का कोई अन्य तरीका प्रदान करने में सक्षम नहीं है तो योजना के अन्तर्गत ऋण घटक के लिए प्रत्याभूतियाँ देना।

राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एसएलएससी):

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आरजीजीवीवाई परियोजनाओं के लिए गठित विद्यमान एसएलएससी, नोडल एजेंसी को प्रस्तुत करने से पहले परियोजनाओं की संस्तुति करने के लिए उत्तरदायी थी। एसएलएससी की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों में निम्न सम्मिलित है:

- परियोजना के अन्तर्गत समाहित किए गए भौतिक कार्यों की समीक्षा करने और प्रस्तावित वितरण नेटवर्क के अनुरूप अपस्ट्रीम नेटवर्क की पर्याप्तता और परियोजना क्षेत्र की भार माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के पश्चात् अनुश्रवण समिति के अनुमोदन के लिए डीपीआर (एनओएफएन घटक सहित) की संस्तुति करना;
- यह सुनिश्चित करना कि आरजीजीवीवाई जैसी किसी अन्य भारत सरकार की योजना के साथ कार्यों की कोई आवृति या अधिव्यापन न हो; और
- प्रगति एवं गुणवत्ता नियंत्रण का अनुश्रवण करना और स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन से सम्बन्धित विषयों का समाधान करना जैसे कि उपकेन्द्रों के लिए भूमि का आवंटन, मार्ग-अधिकार, वन अनापत्ति, रेलवे अनापत्ति, सुरक्षा अनापत्ति, आदि।

यूटिलिटीज़ (वितरण कम्पनियाँ):

यूटिलिटीज़ निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी थीं:

- आवश्यकता मूल्यांकन दस्तावेज़/डीपीआर तैयार करना और एसएलएससी द्वारा विधिवत अनुशंसित डीपीआर को नोडल एजेंसी को ऑनलाइन प्रस्तुत करना;
- दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित पूर्णता अवधि में योजना का कार्यान्वयन करना;
- परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) की नियुक्ति करना;
- जिला स्तर पर एक समर्पित परियोजना कार्यान्वयन प्रकोष्ठ और प्रधान कार्यालय स्तर पर एक केन्द्रीयकृत प्रकोष्ठ की स्थापना करना;
- नोडल एजेंसी को वेब पोर्टल पर आवधिक अद्यतनीकरण सहित, परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति प्रस्तुत करना;
- ग्रामीण गैर-कृषि उपभोक्ताओं के लिए 24x7 विद्युत आपूर्ति के लक्ष्य को उत्तरोत्तर प्राप्त करने के लिए विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करना एवं कृषि उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना; और

- नोडल एजेंसी को आवश्यकतानुसार अन्य कोई सम्बन्धित सूचना प्रदान करना।

सौभाग्य योजना के अन्तर्गत, योजना दिशानिर्देशों में विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों का उल्लेख विशेष रूप से नहीं किया गया था।

वितरण कम्पनियों का संगठनात्मक ढाँचा

1.5 यूपीपीसीएल और वितरण कम्पनियाँ, ऊर्जा विभाग, उ.प्र. सरकार के अन्तर्गत कार्य करते हैं, जिसका नेतृत्व अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव करते हैं। यूपीपीसीएल, वितरण कम्पनियों की स्वामित्व धारक कम्पनी है। वितरण कम्पनियों का प्रबंधन, एक निदेशक मण्डल में निहित होता है, जिसमें प्रबंध निदेशक और चार निदेशक अर्थात, निदेशक (वाणिज्यिक), निदेशक (तकनीकी), निदेशक (वित्त) और निदेशक (कार्मिक), सम्मिलित हैं, जो सभी उ.प्र. सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

दोनों योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए, प्रत्येक जिले में मण्डल कार्यालयों का नेतृत्व करने वाले अधीक्षण अभियंता को मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में नामित किया गया था तथा वे योजनाओं के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी थे।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

1.6 निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि क्या:

(i) सम्पूर्ण गाँवों का विद्युतीकरण डीडीयूजीजेवाई के अनुसार किया गया था, अर्थात,

(अ) कृषि और गैर-कृषि फीडरों के पृथक्करण का कार्य पूर्ण कर लिया गया था; और

(ब) ग्रामीण क्षेत्रों में डीटी/फीडर/उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित उप-पारेषण तथा वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण और संवर्धन पूर्ण कर लिया गया था।

(ii) सौभाग्य के अनुसार परिवारों के विद्युतीकरण की उपलब्धि प्राप्त की गयी थी, अर्थात,

(अ) सभी शेष आर्थिक रूप से गरीब गैर-विद्युतीकृत परिवारों के लिए निःशुल्क संयोजन सहित अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और विद्युत संयोजन का प्रावधान प्राप्त किया गया था; और

(ब) सुदूर और दुर्गम गाँवों/मजरों, जहाँ ग्रिड विस्तार व्यावहारिक या लागत प्रभावी नहीं था, में स्थित गैर-विद्युतीकृत परिवारों के लिए एसपीवी आधारित एकल प्रणाली स्थापित की गयी थी।

(iii) ऊर्जा से संयोजित परिवार इसका उपयोग करने और योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सक्षम थे।

लेखापरीक्षा मानदण्ड

1.7 जाँच के लिए अपनाए गए लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए थे:

- एमओपी द्वारा निर्गत की गयी योजना(ओं) के दिशानिर्देश।
- एमओपी, उ.प्र. सरकार, एसएलएससी, आरईसी एवं यूपीपीसीएल/वितरण कम्पनियों द्वारा निर्गत अनुदेश/परिपत्र/आदेश।
- विद्युत अधिनियम, 2003; विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005; सामान्य वित्तीय नियमावली; एवं सीवीसी दिशानिर्देश।
- आरईसी, उ.प्र. सरकार और वितरण कम्पनियों के मध्य त्रिपक्षीय समझौता और संविदाकारों के साथ निष्पादित अनुबंध समझौते।
- अनुश्रवण समिति, एसएलएससी बैठकें, और वितरण कम्पनियों के निदेशक मण्डल की बैठकों के कार्यवृत्त।

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र, नमूना और कार्यविधि

1.8 डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य के अभीष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति का आकलन करने के लिए अगस्त 2022 से मार्च 2023 तक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा में 2014-15 से 2022-23 (दिसम्बर 2022 तक) की अवधि को आच्छादित किया गया था और उ.प्र. सरकार स्तर, यूपीपीसीएल, सभी चार वितरण कम्पनियों के मुख्यालय, 21 मण्डल कार्यालयों और 66 वितरण खण्डों के अभिलेखों की जाँच की गई थी। उपलब्धियों का आकलन करने के लिए प्रतिस्थापन के बिना सरल यादृच्छिक नमूनाकरण के आधार पर कुल 16 जिलों[6] **(परिशिष्ट-1.1)** का चयन किया गया था। चयनित 16 जिलों को **चार्ट 1.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.1: नमूना जिलों का विवरण

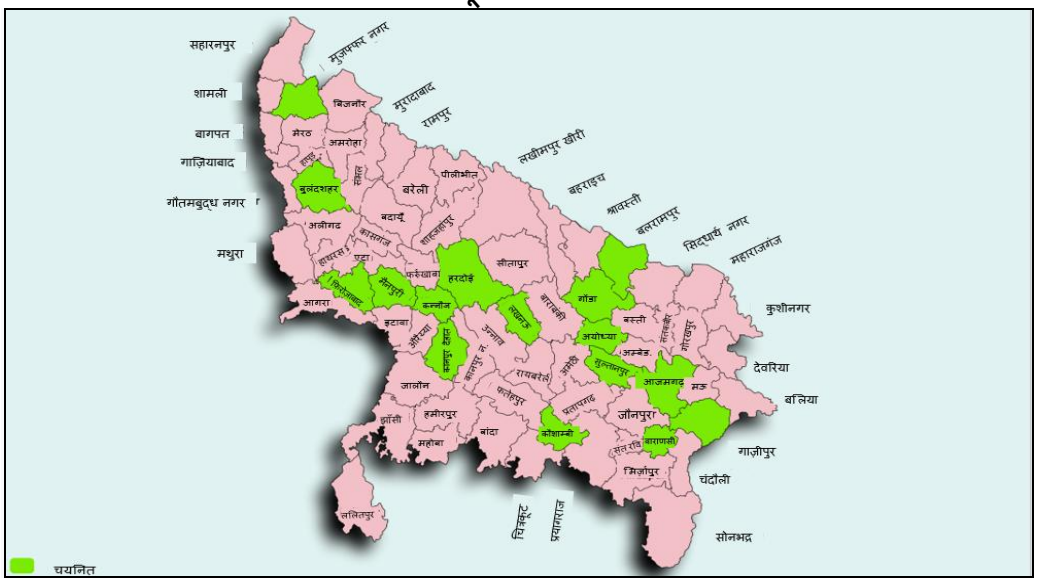

[6] सुल्तानपुर, गोंडा, अयोध्या, हरदोई, लखनऊ, बलरामपुर, ग़ाज़ीपुर, आज़मगढ़, वाराणसी, कौशाम्बी, बुलन्दशहर, मुज़फ़्फ़रनगर, फ़िरोज़ाबाद, मैनपुरी, कानपुर देहात एवं कन्नौज।

अग्रेतर, यह प्रतिवेदन डीडीयूजीजेवाई में समाहित 12वीं योजना आरजीजीवीवाई के भाग से सम्बन्धित प्रेक्षणों को सम्मिलित नहीं करता है, क्योंकि यह पूर्व में ही सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2018 के प्रतिवेदन संख्या 2- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, उ.प्र. सरकार) में सम्मिलित थे।

अखिल भारतीय निष्पादन लेखापरीक्षा के समय 224 गाँवों[7] में किए गए लाभार्थियों के सर्वेक्षण (अगस्त 2021 से अक्टूबर 2021) के परिणामों को भी इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त, योजनाओं के कार्यान्वयन और लाभार्थियों के लिए अभीष्ट लाभों की प्राप्ति के आकलन हेतु जनवरी-फरवरी 2023 में एक अनुवर्ती सर्वेक्षण, 224 गाँवों में पहले से ही सम्मिलित चार गाँवों में किया गया।

ऊर्जा विभाग, यूपीपीसीएल एवं वितरण कम्पनियों के प्रबंधन के साथ एक एन्ट्री कॉन्फ्रेंस, 1 दिसम्बर 2022 को आयोजित की गयी, जिसके दौरान लेखापरीक्षा उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र, मानदण्डों, इत्यादि पर चर्चा की गई थी। 9 जनवरी 2024 को आयोजित एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस में सरकार और प्रबंधन के साथ लेखापरीक्षा परिणामों पर चर्चा की गई। सरकार (दिसम्बर 2023 में प्राप्त) और प्रबंधन (फरवरी 2024 में प्राप्त) के उत्तरों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

अभिस्वीकृति

1.9 लेखापरीक्षा, निष्पादन लेखापरीक्षा को सुगम बनाने के लिए ऊर्जा विभाग, उ.प्र. सरकार एवं यूपीपीसीएल और वितरण कम्पनियों के प्रबंधन द्वारा दिए गए सहयोग और सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है।

[7] लेखापरीक्षा ने लाभार्थी सर्वेक्षण करने के लिए 232 गाँवों का चयन किया था। आठ गाँवों में सर्वेक्षण नहीं किया जा सका क्योंकि चार गाँवों का पता नहीं चल सका और शेष चार गाँवों में, या तो गाँव ऊर्जीकृत नहीं थे, या गाँव में कोई आबादी नहीं मिली, या गाँव का नगर पालिका क्षेत्र में विलय कर दिया गया था, या विद्युतीकृत लाभार्थी नहीं मिले। इस प्रकार, लाभार्थियों के सर्वेक्षण के लिए 224 गाँव चयनित थे।

अध्याय-II

नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन

अध्याय-II

नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन

यह अध्याय डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजनाओं के नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन में पायी गई कमियों पर चर्चा करता है। महत्वपूर्ण विषयों जिन पर प्रकाश डाला गया है में, सौभाग्य योजना में ऑफ-ग्रिड संयोजनों को सम्मिलित न करना शामिल है, जबकि दिशानिर्देशों में उनके समावेश को निर्दिष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त, अध्याय वित्तीय प्रबंधन में कमियों पर चर्चा करता है, जैसे कि निर्धारित महत्वपूर्ण पड़ावों को पूर्ण करने में कमी, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करने में अक्षमता, जीएसटी और राज्य करों के त्रुटिपूर्ण दावे तथा अधिक ऋण दावों के कारण परिहार्य ब्याज देयता।

योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नियोजन

2.1 परियोजनाओं के त्वरित एवं सुचारू कार्यान्वयन तथा नियत समय के अन्दर परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए यूटिलिटीज़ को एक प्रभावी कार्यान्वयन योजना तैयार करने की आवश्यकता थी।

दोनों योजनाओं में नियोजन गतिविधियों में पाई गई कमियों पर नीचे चर्चा की गई है:

डीपीआर में ऑफ-ग्रिड संयोजनों को सम्मिलित न करना

2.1.1 सौभाग्य योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी पात्र संस्थाओं को शेष गैर-विद्युतीकृत परिवारों के विद्युतीकरण हेतु डीपीआर, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए, अलग-अलग दो भागों में, तैयार करना आवश्यक था। अग्रेतर, जिला-वार डीपीआर में ग्रिड संयोजन और सौर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) आधारित एकल प्रणाली के माध्यम से योजना के अन्तर्गत समाविष्ट किए जाने वाले ग्रामीण परिवारों की संख्या भी सम्मिलित की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 'सभी के लिए 24x7 विद्युत' कार्यक्रम (केंद्र और राज्य सरकारों की एक संयुक्त पहल) के अन्तर्गत तैयार डीपीआर को संशोधित किया गया और यूपीपीसीएल द्वारा सौभाग्य योजना के लिए डीपीआर के रूप में अनुमोदन हेतु एसएलएससी को प्रस्तुत किया गया (अप्रैल 2018)।

लेखापरीक्षा ने अग्रेतर देखा कि, सौभाग्य योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, वितरण कम्पनियों ने आरईसी को प्रस्तुत डीपीआर में एसपीवी-आधारित एकल प्रणाली के माध्यम से संयोजन प्रदान करने के प्रावधान सम्मिलित नहीं किए। इस चूक के कारण, आरईसी ने डीपीआर को अनुमोदित करते समय वितरण कम्पनियों के कार्यक्षेत्र के लिए स्वतंत्र रूप से एक लाख एसपीवी प्रणालियाँ आवंटित की। यह चूक वितरण कम्पनियों की योजना अनुपालन और नियोजन प्रक्रियाओं में प्रणालीगत कमी को दर्शाती है।

अपने उत्तर में, सरकार ने कहा (दिसम्बर 2023) कि समय और जनशक्ति की कमी के कारण, प्रारंभिक डीपीआर जमा करने से पूर्व ऐसे परिवारों की वास्तविक पहचान पूर्ण नहीं की जा सकी थी। एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (जनवरी 2024) के दौरान, प्रबंधन ने कहा कि एसपीवी संयोजन राज्य के लिए कम महत्व रखते हैं और इसलिए, उन्हें डीपीआर में सम्मिलित नहीं किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वितरण कम्पनियाँ योजना के दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर सकीं।

वित्तीय प्रबंधन

2.2 एमओपी द्वारा स्वीकृत लागत के सापेक्ष वितरण कम्पनी-वार और योजना-वार व्यय[1] **तालिका 2.1** में दिया गया है।

तालिका 2.1: योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत लागत एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वितरण कम्पनी	स्वीकृत लागत		कुल व्यय[2]		कुल व्यय (प्रतिशत में)	
	डीडीयूजीजेवाई	सौभाग्य	डीडीयूजीजेवाई	सौभाग्य	डीडीयूजीजेवाई	सौभाग्य
एमवीवीएनएल	1,237.38	4,238.10	1,263.01	2,739.35	102.07	64.64
पीयूवीवीएनएल	1,569.07	4,618.41	1,505.62	3,382.37	95.96	73.24
पीवीवीएनएल	2,160.05	844.94	2,007.11	703.76	92.92	83.29
डीवीवीएनएल	1,979.90	2,776.34	1,893.02	1,589.19	95.61	57.24
योग	**6,946.40**	**12,477.79**	**6,668.76**	**8,414.66**	**96.00**	**67.44**

तालिका 2.1 से स्पष्ट है कि डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजनाओं के समापन के समय, वितरण कम्पनियों ने स्वीकृत लागत का क्रमशः 96 प्रतिशत और 67.44 प्रतिशत मात्र ही व्यय किया था।

दोनों योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय प्रबंधन में कमियों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

निर्धारित महत्वपूर्ण पड़ाव प्राप्त न कर पाने के कारण अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करने में अक्षमता

2.2.1 डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य, दोनों योजनाओं में निर्धारित महत्वपूर्ण पड़ावों को प्राप्त करने पर ऋणों को अतिरिक्त अनुदान में परिवर्तित करने का प्रावधान किया गया था। निम्नलिखित लेखापरीक्षा परिणाम उन दृष्टांतों पर प्रकाश डालते हैं, जहाँ वितरण कम्पनियों को, इन योजनाओं के अन्तर्गत नियत महत्वपूर्ण पड़ावों और लक्ष्यों को पूर्ण करने में अक्षमता के कारण, ऐसे परिवर्तन के लिए अयोग्य कर दिया गया था।

---

[1] कुल व्यय, योजनाओं के समापन तक वितरण कम्पनियों द्वारा आरईसी को प्रस्तुत समापन लागत को दर्शाता है (डीडीयूजीजेवाई के लिए मार्च 2022 और सौभाग्य के लिए मार्च 2021)।

[2] वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत समापन लागत में राज्य कर और पीएमए प्रभार सम्मिलित हैं।

(अ) डीडीयूजीजेवाई योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, अतिरिक्त अनुदान (ऋण घटक का 50 प्रतिशत, अर्थात् परियोजना लागत का 15 प्रतिशत) सभी महत्वपूर्ण पड़ावों की प्राप्ति की दशा में निर्गत किया जाना था, यथा; (i) अनुमोदित समय-सीमा के अन्दर योजना को पूर्ण करना (टर्नकी परियोजनाओं के लिए लेटर ऑफ अवार्ड की तिथि से 24 माह तक और आंशिक टर्नकी[3]/विभागीय परियोजनाओं के लिए अनुश्रवण समिति द्वारा परियोजना के अनुमोदन की सूचना की तिथि से 30 माह तक); (ii) एमओपी द्वारा निर्धारित प्रक्षेप पथ के अनुसार समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एण्ड सी) हानियों में कमी; (iii) मीटर-युक्त उपभोग के आधार पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकार्य राजस्व सब्सिडी को अग्रिम में अवमुक्त करना।

मानदण्ड (ii) और (iii) का मूल्यांकन परियोजना आवंटन के वर्ष से आरम्भ होकर लगातार तीन वर्षों तक किया जाना था। अतिरिक्त अनुदान को प्रत्येक वर्ष के मूल्यांकन के अनुरूप तीन बराबर वार्षिक किश्तों में विभाजित किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि किसी भी वितरण कम्पनी ने अनुश्रवण समिति द्वारा परियोजनाओं के अनुमोदन की तिथि (सितम्बर 2015) से 30 माह की नियत अवधि के अन्दर आंशिक टर्नकी परियोजनाओं[4] को पूर्ण नहीं किया था। परियोजनाएं अंततः 29 से 49 माह के विलम्ब से पूर्ण हुईं। इसके अतिरिक्त, वितरण कम्पनियाँ 2018-19 से 2021-22 के दौरान एटी एण्ड सी हानियों में लक्षित कमी प्राप्त नहीं कर सकीं और उन्होंने मीटर-युक्त उपभोग के आधार पर राज्य सरकार से अग्रिम राजस्व सब्सिडी का दावा नहीं किया।

इसके परिणामस्वरूप वितरण कम्पनियाँ ₹ 1,816.94 करोड़ के ऋण को ₹ 908.47 करोड़ (₹ 1,816.94 करोड़ का 50 प्रतिशत) के अनुदान में परिवर्तित करने का लाभ प्राप्त नहीं कर सकीं।

सरकार ने अपने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2023) कि वितरण कम्पनियों द्वारा अलग से प्रमुख मदों के क्रय, आपूर्ति और निर्माण के लिए विभिन्न एजेंसियों की नियुक्ति, एजेंसियों के साथ समन्वय में लगने वाला समय, मार्ग के अधिकार के प्रकरण, रेलवे/वन/एनएचएआई से अनापत्ति प्राप्त करने में विलम्ब और डीडीयूजीजेवाई योजना के अन्तर्गत कुछ सिविल कार्यों के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता के कारण परियोजनाएं लक्षित समय-सीमा के अन्दर पूर्ण नहीं हो सकीं। एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (जनवरी 2024) के दौरान सरकार इस बात पर सहमत थी कि निर्धारित महत्वपूर्ण पड़ाव प्राप्त नहीं किए जा सके।

---

[3] आंशिक टर्नकी अनुबंध का अर्थ एक ऐसा अनुबंध है 'जिसमें परियोजना के क्रियान्वयन के लिए संविदाकार को कुछ सामग्री निःशुल्क निर्गत की जाती है'।

[4] सभी वितरण कम्पनियों ने डीडीयूजीजेवाई योजना के कार्यों को आंशिक टर्नकी आधार पर क्रियान्वित किया।

सरकार द्वारा बताए गए कारणों, जैसे कि क्रय में विलम्ब, समन्वय सम्बन्धी मुद्दे और सांविधिक अनापत्तियाँ प्राप्त करना, जो कि अनुमानित परियोजना जोखिम थे जिन्हें पर्याप्त नियोजन, सुव्यवस्थित क्रय और सम्बन्धित एजेंसियों के साथ सक्रिय समन्वय से कम किया जा सकता था।

(ब) सौभाग्य योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, 31 दिसम्बर 2018 तक सभी इच्छुक परिवारों के शत प्रतिशत विद्युतीकरण की उपलब्धि की दशा में एक अतिरिक्त अनुदान (ऋण घटक का 50 प्रतिशत, अर्थात् परियोजना लागत का 15 प्रतिशत) अवमुक्त किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वितरण कम्पनियों ने 31 दिसम्बर 2018 तक 33.23 लाख संयोजन[5] निर्गत किए थे, लेकिन उन्होंने 64.67 लाख संयोजनों[6] के लिए एमओपी/आरईसी को दावे प्रस्तुत किए और दिसम्बर 2018 तक परिपूर्णता की घोषणा की, जिसमें दावा किया गया कि सभी इच्छुक परिवारों को संयोजन निर्गत कर दिए गए हैं। हालांकि, वितरण कम्पनियों द्वारा योजना के समापन से पूर्व (जनवरी 2019 से दिसम्बर 2020/मार्च 2021) और परिपूर्णता की घोषणा के मध्य, अग्रेतर 28.42 लाख संयोजन निर्गत किए गए थे। इस प्रकार, वितरण कम्पनियों ने लक्षित समय (दिसम्बर 2018) के अन्दर सभी इच्छुक परिवारों को संयोजन निर्गत नहीं किये थे, अपितु इच्छुक परिवारों को संयोजन निर्गत करने और परिपूर्णता प्राप्त करने के सम्बन्ध में त्रुटिपूर्ण दावे प्रस्तुत किये थे।

इसके परिणामस्वरूप, वितरण कम्पनियाँ ₹ 2,188.28 करोड़ के ऋणों को ₹ 1,094.14 करोड़ (₹ 2,188.28 करोड़ का 50 प्रतिशत) के अनुदान में परिवर्तित करने का लाभ प्राप्त नहीं कर सकीं।

सरकार ने अपने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2023) कि अनुबंध मई 2018 में प्रदान किये गए थे। कार्य प्रदान करने के पश्चात् टीकेसीज़ द्वारा सर्वेक्षण कार्य किया गया, सर्वेक्षण कार्य के पश्चात् विक्रेताओं को सामग्री की आपूर्ति करने के आदेश दिये गये थे और तत्पश्चात् स्थल पर सामग्री स्थापित की गई थी। इसके अतिरिक्त, उस स्थल पर मार्गाधिकार से सम्बन्धी प्रकरण भी थे। परिणामस्वरूप, यह कार्य सात माह के अल्प समय में पूर्ण नहीं हो सका। एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (जनवरी 2024) के दौरान सरकार इस बात पर सहमत थी कि निर्धारित महत्वपूर्ण पड़ाव प्राप्त नहीं किए जा सके।

यह तर्क कि कार्य पूरा करने के लिए सात माह बहुत कम थे, स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि योजना के दिशानिर्देश और समय-सीमाएं प्रारम्भ से ही ज्ञात थीं,

---

[5] एमवीवीएनएल: 9,66,967; पीयूवीवीएनएल: 10,70,584; पीवीवीएनएल: 6,01,698; और डीवीवीएनएल: 6,83,774।

[6] एमवीवीएनएल: 19,05,595; पीयूवीवीएनएल: 25,03,874; पीवीवीएनएल: 7,39,206; और डीवीवीएनएल: 13,18,213।

और समय पर कार्य सौंपना एवं कार्य का आरम्भ सुनिश्चित करना वितरण कम्पनियों का उत्तरदायित्व था।

जीएसटी/राज्य करों के त्रुटिपूर्ण/अपर्याप्त दावे

2.2.2 डीडीयूजीजेवाई योजना के अन्तर्गत उ.प्र. सरकार, आरईसी और वितरण कम्पनियों के मध्य निष्पादित त्रिपक्षीय समझौते (जुलाई 2016) के अनुसार, राज्य करों का वहन राज्य/वितरण कम्पनियों द्वारा किया जाना था। अग्रेतर, अनुश्रवण समिति ने निर्णय लिया (नवम्बर 2020) कि सौभाग्य योजना के अन्तर्गत, राज्य करों का वहन सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, जैसा कि डीडीयूजीजेवाई योजना के प्रकरण में था।

वितरण कम्पनियों द्वारा जीएसटी और राज्य करों से सम्बन्धित त्रुटिपूर्ण या अपर्याप्त दावों के दृष्टांतों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

(i) विभागीय रूप से आपूर्तित सामग्रियों पर अधिक जीएसटी की प्रतिपूर्ति

टर्नकी अनुबंधों के माध्यम से सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन के दौरान, वितरण कम्पनियों ने विभागीय स्तर पर मीटर, केबल और पीसीसी पोल जैसी सामग्री की आपूर्ति भी की थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पीवीवीएनएल ने, यूपीपीसीएल के 2018-19 के स्टॉक इश्यू रेट्स (एसआईआर) के आधार पर और उसमें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) जोड़कर, विभागीय रूप से ₹ 23.78 करोड़ मूल्य की सामग्री की आपूर्ति की। हालांकि, यूपीपीसीएल द्वारा निर्गत एसआईआर में पहले से ही जीएसटी सम्मिलित था। इससे, अधिक जीएसटी के रूप में परियोजना समापन लागत में ₹ 3.63 करोड़ की वृद्धि हुई **(परिशिष्ट-2.1)**। फलस्वरूप, पीवीवीएनएल ने आरईसी से सीजीएसटी अंश के लिए ₹ 1.09 करोड़ (₹ 1.82 करोड़ x 60 प्रतिशत) और उ.प्र. सरकार से एसजीएसटी के लिए ₹ 1.81 करोड़ की अधिक प्रतिपूर्ति का दावा किया और प्राप्त किया।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2024) कि एसआईआर जीएसटी रहित था, क्योंकि कि यूपीपीसीएल के पत्र में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया था कि दरों में कर सम्मिलित हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यूपीपीसीएल द्वारा निर्गत एसआईआर में जीएसटी भी सम्मिलित था, जैसा कि यूपीपीसीएल द्वारा एसआईआर को अंतिम रूप देने के कार्य विवरण से स्पष्ट है।

(ii) राज्य सरकार से वैट/लेबर सेस का दावा न किया जाना

डीडीयूजीजेवाई योजना के अन्तर्गत, आरईसी ने समापन दस्तावेजों में पीवीवीएनएल को ₹ 133.51 करोड़ की धनराशि के राज्य करों (एसजीएसटी/ वैट/डब्ल्यूसीटी/प्रवेश-कर/लेबर सेस/कोई अन्य कर) के बारे में सूचित किया। इसमें से, पीवीवीएनएल ने अप्रैल 2022 तक उ.प्र. सरकार से

₹ 107.95 करोड़ के एसजीएसटी मात्र का दावा किया, जिसका उल्लेख अक्टूबर 2022 में लेखापरीक्षा द्वारा किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात्, पीवीवीएनएल ने उ.प्र. सरकार से फरवरी 2023 तक वैट, लेबर सेस, आदि से सम्बन्धित ₹ 25.56 करोड़ की अंतर धनराशि का दावा किया और जनवरी 2024 तक ₹ 21.35 करोड़ प्राप्त किए। शेष ₹ 4.21 करोड़ अभी भी अवमुक्त किया जाना शेष है। इस प्रकार, राज्य करों का समय पर दावा न कर पाने के कारण, पीवीवीएनएल उ.प्र. सरकार से कुल राज्य करों की प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सका।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में कहा कि सरकार से शेष ₹ 4.21 करोड़ प्राप्त करने के लिए प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसे सरकार द्वारा भी स्वीकार किया गया (दिसम्बर 2023)।

संस्तुति 1:

वितरण कम्पनियाँ, करों का सटीक आकलन और राज्य सरकार एवं आरईसी से उनका समय पर दावा, सुनिश्चित कर सकतीं हैं।

आरईसी से अधिक ऋण पर परिहार्य ब्याज दायित्व के कारण हानि

2.2.3 सौभाग्य योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, आरईसी ऋण की पात्र धनराशि परियोजना लागत के 30 प्रतिशत तक सीमित थी।

आरईसी ने, पीयूवीवीएनएल द्वारा प्रस्तुत ₹ 3,001.14 करोड़ के समापन दावे (10 अगस्त 2021) के सापेक्ष सौभाग्य योजना के समापन हेतु, ₹ 2,992.29 करोड़ की कुल परियोजना लागत (पीएमए शुल्क और राज्य करों को छोड़कर) अनुमोदित की थी (सितम्बर 2021)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पीयूवीवीएनएल, समापन दावे के आधार पर आरईसी से ₹ 900.34 करोड़ (₹ 3,001.14 करोड़ का 30 प्रतिशत) के ऋण के लिए पात्र था। चूँकि, पीयूवीवीएनएल ने अक्टूबर 2020 तक पहले ही ₹ 879.49 करोड़ का ऋण ले लिया था, इसलिए वह ₹ 20.85 करोड़ (₹ 900.34 करोड़ - ₹ 879.49 करोड़) के अतिरिक्त ऋण के लिए पात्र था। तथापि, पीयूवीवीएनएल ने ₹ 104.19 करोड़ के अतिरिक्त ऋण की माँग की (16 अगस्त 2021), जिसके सापेक्ष आरईसी ने ₹ 84.18 करोड़ अवमुक्त किए (अगस्त और अक्टूबर 2021)। फलस्वरूप, पीयूवीवीएनएल को ₹ 66.00 करोड़ की अधिक ऋण धनराशि आरईसी को वापस करनी पड़ी (जून 2022)।

परिणामस्वरूप, पीयूवीवीएनएल को आरईसी से लिए गए अधिक ऋण पर ₹ 3.94 करोड़[7] का परिहार्य ब्याज दायित्व वहन करना पड़ा।

[7] लागू अवधि के लिए आरईसी ऋण और सावधि जमा दर पर ब्याज दर का अंतर।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (जनवरी 2024) के दौरान, सरकार और प्रबंधन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण से सहमति व्यक्त की और कहा कि पीयूवीवीएनएल द्वारा ली गई अधिक ऋण धनराशि आरईसी को वापस कर दी गई थी।

आरईसी ऋण पर ब्याज का अधिक भुगतान

2.2.4 आरईसी ने 14 जिलों के लिए डीडीयूजीजेवाई योजना के अन्तर्गत पीवीवीएनएल को ₹ 644.79 करोड़ की वित्तीय सहायता स्वीकृत की (सितम्बर 2017)। ऋण स्वीकृति पत्र के अनुसार, वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफआरपी) के क्रियान्वयन के कारण ब्याज दर निर्धारित करने के उद्देश्य से पीवीवीएनएल को 'ए+' ग्रेड की पेशकश की गई थी, जबकि पीवीवीएनएल का वास्तविक ग्रेड 'बी' था।

स्वीकृति पत्र में प्रस्तावित ब्याज दर 9.75 प्रतिशत प्रति वर्ष ('ए+' रेटेड वितरण कम्पनियों के लिए 10.50 प्रतिशत में से 0.75 आधार अंक की छूट) और 9.60 प्रतिशत प्रति वर्ष (10.35 प्रतिशत में से 0.75 आधार अंक की छूट) थी, जिसमें क्रमशः तीन वर्ष और 10 वर्ष के लिए ब्याज पुनर्निर्धारण विकल्प सम्मिलित था। पीवीवीएनएल ने तीन वर्ष की रीसेट ब्याज दर का विकल्प चुना। मार्च 2018 में, आरईसी ने पीवीवीएनएल को 9.75 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक ब्याज दर होने पर 17 आधार अंकों की अतिरिक्त छूट की पेशकश की। हालांकि, आरईसी ने विद्यमान या नई योजनाओं के अन्तर्गत भविष्य के सभी संवितरणों के लिए 'ए+' श्रेणी के लिए ब्याज दर की पेशकश का लाभ वापस ले लिया (मार्च 2019)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आरईसी ने 19 सितम्बर 2018 से 28 दिसम्बर 2018 के मध्य संवितरित ₹ 322.40 करोड़ की ऋण किश्तों पर 9.83 प्रतिशत[8] की प्रभावी दर के स्थान पर 10.58 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूला। पीवीवीएनएल ने लागू ब्याज दर का सत्यापन किए बिना आरईसी की माँग के अनुसार भुगतान कर दिया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.19 करोड़ की अधिक ब्याज धनराशि का भुगतान हुआ **(परिशिष्ट-2.2)**।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (जनवरी 2024) के दौरान सरकार ने इस विषय को स्वीकार किया। यूपीपीसीएल ने पीवीवीएनएल को निर्देश दिया कि वह लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई अवधि के लिए अधिक ब्याज भुगतान की वापसी या समायोजन के बारे में आरईसी से संवाद करे।

संस्तुति 2:

वितरण कम्पनियाँ, अपनी वास्तविक ऋण आवश्यकताओं का पूरी तरह से आकलन कर सकतीं हैं तथा अधिक ब्याज भुगतान को रोकने के लिए वित्त-पोषण एजेंसी के साथ स्वीकृत शर्तों का दृढ़ता से पालन कर सकतीं हैं।

[8] ए+ श्रेणी के लिए आरओआई की दर 10.75 प्रतिशत से (0.75 आधार अंक की दर से मानक छूट में 17 आधार अंक की दर से अतिरिक्त छूट जोड़कर) घटाकर।

निष्कर्ष

डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजनाओं के नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन में महत्वपूर्ण कमियाँ थीं। सौभाग्य योजना के डीपीआर में ऑफ-ग्रिड संयोजनों को सम्मिलित नहीं किया गया था। वित्तीय प्रबंधन के संदर्भ में, वितरण कम्पनियाँ प्रमुख महत्वपूर्ण पड़ावों को प्राप्त नहीं कर सकीं, जिससे वे डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजनाओं में ₹ 2,002.61 करोड़ के ऋणों को अनुदान में परिवर्तित करने के लिए अयोग्य हो गईं थीं। इसके अतिरिक्त, जीएसटी और राज्य करों के लिए त्रुटिपूर्ण और अपर्याप्त दावों के कारण वित्तीय विसंगतियाँ हुईं, जिनमें ₹ 2.90 करोड़ की अधिक जीएसटी प्रतिपूर्ति और ₹ 4.21 करोड़ की बकाया प्रतिपूर्ति सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, लागू ब्याज दरों का सत्यापन न करने के कारण आरईसी ऋणों पर ₹ 7.19 करोड़ का अधिक ब्याज का भुगतान किया गया था।

अध्याय-III

योजनाओं के अन्तर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन

अध्याय-III

योजनाओं के अन्तर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन

यह अध्याय, वितरण कम्पनियों द्वारा डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजनाओं के कार्यान्वयन में पाई गई कमियों पर चर्चा करता है। लेखापरीक्षा जाँच में स्वीकृत और क्रियान्वित मात्राओं के बीच अत्यधिक भिन्नताएं पाई गई, जिसमें दोनों योजनाओं के कुछ घटकों में 244.79 प्रतिशत तक अति-उपलब्धि पाई गई, जबकि अन्य में 84.14 प्रतिशत तक की अल्प-उपलब्धि पाई गई। प्रमुख कमियों में सीमेंट कंक्रीट ग्राउटिंग पर ₹ 402.44 करोड़ का परिहार्य व्यय, जो कि कार्यक्षेत्र के अनुसार आवश्यक नहीं था, तथा 2,919 मजरो में बिना कोई सेवा संयोजन निर्गत किए ₹ 140.34 करोड़ मूल्य के अवसंरचना का निर्माण करना सम्मिलित था। कृषि और गैर-कृषि फीडरों के पृथक्करण का उद्देश्य बड़े पैमाने पर अप्राप्त था, क्योंकि मात्र 28.78 प्रतिशत कृषि उपभोक्ता ही कृषि फीडरों से जुड़े हुए थे। दोहरे दावे और संविदाकारों को अधिक भुगतान के कई दृष्टांत सामने आए, साथ ही अनिवार्य स्मार्ट मीटरों के स्थान पर स्थैतिक ऊर्जा मीटरों की स्थापना के माध्यम से योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन भी किया गया।

योजनाओं के अन्तर्गत कार्यक्षेत्र

3.1 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: (i) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्टरिंग सुनिश्चित करने हेतु कृषि और गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण; और (ii) वितरण ट्रांसफार्मरों, फीडरों और उपभोक्ता छोर पर मीटरिंग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण एवं संवर्धन।

अग्रेतर, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: (i) ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत परिवारों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और विद्युत संयोजन प्रदान करना; (ii) सुदूर और दुर्गम गाँवों या मजरो में, जहाँ ग्रिड विस्तार व्यावहारिक या लागत प्रभावी नहीं है, में गैर-विद्युतीकृत परिवारों के लिए सौर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) आधारित एकल प्रणाली स्थापित करना; और (iii) शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से गरीब गैर-विद्युतीकृत सभी शेष परिवारों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी एवं विद्युत संयोजन प्रदान करना।

योजनाओं के अन्तर्गत क्रियान्वयन की स्थिति

3.1.1 वर्ष 2015-16 से 2021-22 के दौरान डीडीयूजीजेवाई योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मात्राओं के सापेक्ष क्रियान्वित वास्तविक मात्राओं का विवरण **तालिका 3.1** में दिया गया है।

तालिका 3.1: डीडीयूजीजेवाई योजना के अन्तर्गत क्रियान्वयन

विवरण	स्वीकृत मात्रा	क्रियान्वित मात्रा	अधिकता/ कमी (-)	उपलब्धि (प्रतिशत में)
फीडर पृथक्करण				
फीडर पृथक्करण (संख्या)	1,803	1,885	82	104.55
वितरण ट्रांसफार्मर (25 केवीए, 63 केवीए और 100 केवीए) (संख्या)	47,887	24,117	-23,770	50.36
11 केवी लाइनें [सर्किट किलोमीटर, (सीकेएम)]	31,484.09	36,315.97	4,831.88	115.35
एलटी लाइनें (सीकेएम)	764	1,773.02	1,009.02	232.07
प्रणाली सुदृढ़ीकरण				
नये 33/11 केवी उपकेन्द्र (1x5 एमवीए और 2x5 एमवीए) (संख्या)	237	269	32	113.50
विद्युत उपकेन्द्रों का संवर्धन (संख्या)	609	874	265	143.51
वितरण ट्रांसफार्मर (25 केवीए, 63 केवीए और 100 केवीए) (संख्या)	22,340	17,761	-4,579	79.50
11 केवी लाइनें (सीकेएम)	12,505.15	7,567.97	-4,937.18	60.52
एलटी लाइनें (सीकेएम)	6,383	9,027.03	2,644.03	141.42
33 केवी लाइनें (सीकेएम)	6,291.87	4,307.33	-1,984.54	68.46
सेवा संयोजन (बीपीएल परिवार)	57,039	75,216	18,177	131.87
मीटरिंग				
फीडर मीटरिंग (संख्या)	3,228	1,844	-1,384	57.13
डीटी मीटरिंग (संख्या)	45,742	84,302	38,560	184.30
उपभोक्ता मीटरिंग (संख्या)	8,55,840	20,95,042	12,39,202	244.79

स्रोत: योजनाओं के समापन प्रतिवेदन एवं वितरण कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख

तालिका 3.1 से यह देखा जा सकता है कि डीडीयूजीजेवाई योजना के अन्तर्गत क्रियान्वित विभिन्न घटकों में स्वीकृत मात्रा की तुलना में क्रियान्वित मात्रा में अत्यधिक भिन्नताएं थीं, जो कार्यान्वयन में अति-उपलब्धि और अल्प-उपलब्धि दोनों को दर्शाती हैं। एलटी लाइनों (फीडर पृथक्करण के अन्तर्गत 232.07 प्रतिशत और प्रणाली सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत 141.42 प्रतिशत), विद्युत उपकेन्द्रों का संवर्धन (143.51 प्रतिशत), बीपीएल परिवारों को सेवा संयोजन (131.87 प्रतिशत), डीटी मीटरिंग (184.30 प्रतिशत) और उपभोक्ता मीटरिंग (244.79 प्रतिशत) जैसे घटकों में अधिक मात्रा पाई गई। इसके अतिरिक्त, वितरण ट्रांसफार्मरों (फीडर पृथक्करण के अन्तर्गत 50.36 प्रतिशत और प्रणाली सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत 79.50 प्रतिशत), 11 केवी लाइनों (प्रणाली सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत 60.52 प्रतिशत), 33 केवी लाइनों (68.46 प्रतिशत) तथा फीडर मीटरिंग (57.13 प्रतिशत) में कमी पाई गई।

स्वीकृत मात्रा की तुलना में क्रियान्वित मात्रा में भिन्नता के मुख्य कारण अन्य योजनाओं से मजरों और कार्यों को सम्मिलित करना, स्थल सर्वेक्षणों

और वास्तविक स्थलीय दशाओं से उत्पन्न भिन्नताएं तथा अतिरिक्त कार्यों को सम्मिलित करना था।

सरकार ने अपने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2023) कि भिन्नताएं भौगोलिक परिस्थितियों, स्थल-विशिष्ट आवश्यकताओं और अतिरिक्त अवसंरचना के निर्माण के कारण हुईं थीं। इसके अतिरिक्त, डीपीआर अनुमोदन और क्रियान्वयन के बीच समय अंतराल के कारण अनुमोदित कार्यक्षेत्र को कुल स्वीकृत लागत के अन्दर संशोधित किया गया था।

लेखापरीक्षा का मानना है कि अत्यधिक भिन्नताएं, अधिकता और कमी दोनों, नियोजन और अनुमोदन प्रक्रियाओं में कमियों को दर्शाती हैं। ये विसंगतियाँ, बेहतर परियोजना नियोजन की आवश्यकता को रेखांकित करतीं हैं, जिसमें और कड़े सर्वेक्षण तथा मात्राओं का और सटीक अनुमान लगाना सम्मिलित है।

अग्रेतर, 2017-18 से 2020-21 के दौरान कार्यान्वित सौभाग्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मात्राओं के सापेक्ष क्रियान्वित वास्तविक मात्राओं का विवरण **तालिका 3.2** में दिया गया है।

तालिका 3.2: सौभाग्य योजना के अन्तर्गत उपलब्धियाँ

विवरण	स्वीकृत मात्रा	क्रियान्वित मात्रा	कमी (-)	कमी (प्रतिशत में)
संयोजन				
ऑन-ग्रिड संयोजन (संख्या)	1,22,00,000[1]	61,64,963	- 60,35,037	49.47
ऑफ-ग्रिड संयोजन (संख्या)	1,00,000	53,234	- 46,766	46.77
अतिरिक्त एचटी अवसंरचना				
33/11 केवी उपकेन्द्र (संख्या)	1,381	219	- 1,162	84.14
डीटी उपकेन्द्र (संख्या)	1,95,735	1,06,455	- 89,280	54.39
11 केवी लाइन (सीकेएम)	88,657.85	20,619.46	- 68,038.39	76.74
गाँवों और मजरों का विद्युतीकरण				
गैर-विद्युतीकृत गाँव (संख्या)	1,874	1,356	- 518	27.63
गैर-विद्युतीकृत मजरे (संख्या)	18,841	7,016	- 11,825	62.76

स्रोत: वितरण कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना

तालिका 3.2 से देखा जा सकता है कि सौभाग्य योजना के अन्तर्गत विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन में अत्यधिक अल्प-उपलब्धियाँ थीं। लक्षित परिवारों में से मात्र 50.53 प्रतिशत को ही ऑन-ग्रिड संयोजन उपलब्ध कराए गए, जिससे 49.47 प्रतिशत की कमी रह गई। इसी प्रकार, ऑफ-ग्रिड संयोजनों में 46.77 प्रतिशत की कमी पाई गई। अतिरिक्त हाई-टेंशन (एचटी) अवसंरचना के प्रावधान में अत्यधिक कमी थी, जिसमें 33/11 केवी उपकेन्द्रों, वितरण ट्रांसफार्मरों और 11 केवी लाइनों में 54.39 प्रतिशत से लेकर 84.14 प्रतिशत

[1] उ.प्र. सरकार ने 1.70 करोड़ गैर-विद्युतीकृत परिवारों के विद्युतीकरण के लिए आरईसी को माँगपत्र निर्गत किया (10 नवम्बर 2017) परन्तु आरईसी ने मात्र 1.22 करोड़ संयोजन ही स्वीकृत किए।

तक की कमी रही। इसके अतिरिक्त, योजना के समापन तक 518 गाँवों (27.63 प्रतिशत) और 11,825 मजरों (62.76 प्रतिशत) का विद्युतीकरण पूर्ण नहीं हो सका था। ये आँकड़े दर्शाते हैं कि योजना के उद्देश्यों का एक महत्वपूर्ण अंश अपूर्ण रह गया था।

डीडीयूजीजेवाई योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन

3.2 डीडीयूजीजेवाई योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पाई गई कमियों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

अनावश्यक मदों के क्रियान्वयन के कारण परिहार्य व्यय

3.2.1 डीडीयूजीजेवाई योजना के लिए निविदा दस्तावेज की धारा VII (कार्यक्षेत्र) निर्दिष्ट करती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्री-स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट (पीसीसी) पोल पिट को 200 मिलीमीटर के औसत आकार के बोल्डर एवं खोदी गई मिट्टी के मिश्रण से भरा जाना चाहिए। इसमें आगे कहा गया है कि सीमेंट कंक्रीट ग्राउटिंग का प्रयोग एच-बीम और ट्यूबलर पोल के समान केवल डबल पोल, ट्रिपल पोल, कट प्वाइंट पोल, डीटी उपकेन्द्र पोल और जलभराव वाले क्षेत्रों में लगाए गए पोल पर ही किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्यक्षेत्र के प्रावधानों के विपरीत, वितरण कम्पनियों ने सभी पीसीसी पोल के लिए सीमेंट कंक्रीट ग्राउटिंग के कार्य को बीओक्यू में सम्मिलित किया। इसके कारण 12,75,377 एकल पीसीसी पोल[2] के लिए बोल्डर से पुनः भरने के स्थान पर सीमेंट कंक्रीट ग्राउटिंग का कार्य किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 125.35 करोड़[3] का परिहार्य व्यय हुआ। वितरण कम्पनियों ने आरईसी से इस व्यय का दावा किया और ₹ 75.21 करोड़ (₹ 125.35 करोड़ का 60 प्रतिशत) का अधिक अनुदान प्राप्त किया।

सरकार ने अपने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2023) कि आरईसी द्वारा साझा किया गया मानक निविदा दस्तावेज परियोजना क्रियान्वयन के लिए एक मानक प्रारूप है और राज्यों को अपनी प्रथाओं के अनुसार परिवर्तन करने की अनुमति है। ग्रामीण विद्युतीकरण एवं द्वितीय प्रणाली नियोजन संगठन (रेस्पो), यूपीपीसीएल अनुसूचियों में भी कंक्रीटिंग सपोर्ट के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। वितरण कम्पनियों ने डीपीआर में पोलों की कंक्रीटिंग को निर्दिष्ट किया था जिसे नोडल एजेंसी ने स्वीकृत किया था। अनुमोदित डीपीआर के आधार पर बीओक्यू तैयार किया गया था।

---

[2] एमवीवीएनएल: 1,96,695, पीयूवीवीएनएल: 2,28,530, पीवीवीएनएल: 4,45,228 और डीवीवीएनएल: 4,04,924।

[3] एमवीवीएनएल: ₹ 16.45 करोड़, पीयूवीवीएनएल: ₹ 26.08 करोड़, पीवीवीएनएल: ₹ 50.75 करोड़ और डीवीवीएनएल: ₹ 32.07 करोड़, पीसीसी पोल के गड्ढे भरने के सामान्य कार्य की लागत ₹ 170 प्रति पोल की दर से घटाने के पश्चात्।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि निविदा दस्तावेज में कार्यक्षेत्र में स्पष्ट रूप से नियत था कि सीमेंट कंक्रीट ग्राउटिंग का प्रयोग एकल पीसीसी पोल पर नहीं किया जाना था। फलस्वरूप, बीओक्यू में एकल पीसीसी पोल के लिए सीमेंट कंक्रीट ग्राउटिंग का प्रावधान, कार्यक्षेत्र के साथ असंगत था। इसके अतिरिक्त, एमवीवीएनएल ने अपनी आंतरिक टिप्पणियों में माना था कि निर्धारित मापदण्डों के अनुसार एकल पीसीसी पोलों को 200 मिलीमीटर बोल्डर से भरा जा सकता था और सीमेंट कंक्रीट ग्राउटिंग की कोई आवश्यकता नहीं थी। अग्रेतर, डीपीआर में पोलों की कंक्रीटिंग निर्दिष्ट होने से सम्बन्धित उत्तर भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि डीपीआर में सीमेंट कंक्रीट ग्राउटिंग के कार्य को निर्दिष्ट नहीं किया गया था और इसमें मात्र विद्युत लाइनों के लिए समग्र दरें सम्मिलित थीं।

डीपीआर तैयार करने में लगी फर्मों को अधिक भुगतान

3.2.2 डीडीयूजीजेवाई योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, यूटिलिटीज़ को विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षणों और विभिन्न कार्य मदों के लिए दरों की नवीनतम अनुमोदित अनुसूची के आधार पर जिला/सर्किल/जोन-वार विश्वसनीय डीपीआर तैयार करना आवश्यक था।

डीवीवीएनएल और एमवीवीएनएल ने एजेंसियों/फर्मों को डीपीआर (सर्वेक्षण सहित) तैयार करने का कार्य प्रदान किया (जनवरी 2015)। डीवीवीएनएल के लिए डीपीआर तैयार करने की फीस डीपीआर मूल्य के 0.18 प्रतिशत से लेकर 0.5 प्रतिशत तक तथा एमवीवीएनएल के लिए डीपीआर मूल्य का 0.5 प्रतिशत अथवा ₹ 17.5 करोड़ की स्थिर फीस, जो भी कम हो, थी। कार्य प्रदान करने की शर्तों के अनुसार, इन प्रभारों के निर्धारण के लिए डीपीआर मूल्य, कुल कार्य की अनुमोदित लागत (आपूर्ति और स्थापना) पर बिना किसी लोडिंग के आधारित होना चाहिए था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- एमवीवीएनएल ने डीपीआर लागत में पहले से सम्मिलित स्थापना प्रभारों (31 प्रतिशत) और उपकरण एवं संयंत्र प्रभारों (1.5 प्रतिशत) को हटाये बिना अनुमोदित डीपीआर लागत का 0.5 प्रतिशत डीपीआर तैयार करने के प्रभारों के रूप में भुगतान किया।
- डीवीवीएनएल ने अंतिम अनुमोदित डीपीआर लागत के स्थान पर प्रारंभिक अनुमोदित डीपीआर लागत के 0.18 प्रतिशत से लेकर 0.5 प्रतिशत तक की दर से डीपीआर तैयार करने के प्रभार का भुगतान किया तथा इसमें स्थापना प्रभार (31.5 प्रतिशत) और उपकरण एवं संयंत्र प्रभार (1.5 प्रतिशत) को भी नहीं हटाया।

इसके परिणामस्वरूप एमवीवीएनएल और डीवीवीएनएल द्वारा डीपीआर तैयार करने में लगी एजेंसियों/फर्मों को ₹ 3.33 करोड़[4] का अधिक भुगतान किया गया।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (जनवरी 2024) के दौरान, प्रबंधन ने इस प्रेक्षण को स्वीकार किया और कहा कि तथ्यों के सत्यापन के पश्चात् वसूली आदेश निर्गत किए जाएंगे। सरकार ने प्रबंधन के उत्तर को स्वीकार किया।

कृषि और गैर-कृषि फीडरों के पृथक्करण का उद्देश्य पूर्ण न होना

3.2.3 डीडीयूजीजेवाई योजना का एक उद्देश्य कृषि और गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण था, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्टरिंग की जा सके।

अनुश्रवण समिति ने 16 नमूना जिलों में से 11[5] में फीडर पृथक्करण कार्यों को अनुमोदन प्रदान किया था (दिसम्बर 2015)। इन 11 जिलों में फीडर पृथक्करण का कार्य ₹ 887.36 करोड़[6] की लागत से पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा ने दिसम्बर 2022 तक तीन वितरण कम्पनियों[7] के सात नमूना जिलों में कृषि फीडरों से जुड़े उपभोक्ताओं की स्थिति का विश्लेषण किया और पाया कि:

- 1,28,893 कृषि उपभोक्ताओं में से कुल 37,096 (28.78 प्रतिशत) कृषि फीडरों से जुड़े थे तथा शेष 71.22 प्रतिशत कृषि उपभोक्ताओं को अभी भी कृषि फीडरों पर स्थानांतरित किया जाना शेष था।
- 38,142 गैर-कृषि उपभोक्ता कृषि फीडरों से जुड़े थे।

इस प्रकार, कृषि और गैर-कृषि फीडरों को पृथक करने के अभीष्ट लाभ अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (जनवरी 2024) के दौरान, प्रबंधन ने इस प्रेक्षण को तथ्यात्मक बताते हुए स्वीकार किया और कहा कि फीडर पृथक्करण का कार्य अभी भी प्रक्रियाधीन है। सरकार ने प्रबंधन के उत्तर को स्वीकार किया।

उपभोक्ताओं के परिसरों में मीटरों के संस्थापन हेतु दोहरा भुगतान

3.2.4 डीडीयूजीजेवाई योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार वितरण ट्रांसफार्मर, फीडर और उपभोक्ताओं के परिसरों में मीटरिंग की जानी थी।

---

[4] एमवीवीएनएल: ₹ 1.72 करोड़ और डीवीवीएनएल: ₹ 1.61 करोड़।

[5] एमवीवीएनएल के अन्तर्गत बलरामपुर, गोंडा, सुल्तानपुर, अयोध्या और हरदोई जिलों में फीडर पृथक्करण का कार्य प्रस्तावित नहीं किया गया था।

[6] एमवीवीएनएल - ₹ 45.04 करोड़; पीयूवीवीएनएल - ₹ 381.59 करोड़; पीवीवीएनएल - ₹ 171.86 करोड़; और डीवीवीएनएल - ₹ 288.87 करोड़।

[7] फीडर कोड संख्याओं में परिवर्तन के कारण लेखापरीक्षा डीवीवीएनएल के चार नमूना जिलों में कृषि फीडरों से जुड़े उपभोक्ताओं की स्थिति का विश्लेषण नहीं कर सका।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2015 तक 67.65 लाख मीटर-रहित संयोजनों के विरुद्ध वितरण कम्पनियों ने योजना अवधि (मार्च 2022) के अंत तक 20.95 लाख मीटर[8] संस्थापित किए।

वितरण कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई मीटर-रहित से मीटर-युक्त उपभोक्ताओं की सूची के विश्लेषण से पता चला कि पीयूवीवीएनएल और पीवीवीएनएल के नमूना जिलों[9] में समान खाता संख्या वाले 3,449 संयोजनों[10] को दो बार मीटर-युक्त दर्ज किया गया था। वितरण कम्पनियों ने दावे किए गए संयोजनों की प्रामाणिकता का सत्यापन किए बिना, इन सूचियों के आधार पर टीकेसीज़ को भुगतान कर दिया था। इसके परिणामस्वरूप दोनों वितरण कम्पनियों द्वारा टीकेसीज़ को ₹ 36.17 लाख[11] का दोहरा भुगतान किया गया।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (जनवरी 2024) के दौरान, प्रबंधन ने इस प्रेक्षण को स्वीकार किया और सरकार ने भी इसे माना। फरवरी 2024 में, प्रबंधन ने पीयूवीवीएनएल और पीवीवीएनएल के नमूना जिलों में क्रमशः 3,000 और 146 दोहरे संयोजनों की पहचान करने की सूचना दी। पीयूवीवीएनएल ने टीकेसीज़ के बिलों से वसूली की धनराशि रोक ली, जबकि पीवीवीएनएल ने ₹ 3.62 लाख वसूल कर लिए।

सौभाग्य योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन

3.3 सौभाग्य योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पाई गई कमियों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

कार्यक्षेत्र के अनुसार आवश्यक न होने वाली मदों का क्रियान्वयन

3.3.1 जैसा कि **प्रस्तर 3.2.1** में चर्चा की गई है, तीन वितरण कम्पनियों (एमवीवीएनएल, पीयूवीवीएनएल और पीवीवीएनएल) ने कार्यक्षेत्र का उल्लंघन करते हुए, बीओक्यू में, सभी पीसीसी पोल (एकल और अन्य प्रकार सहित) में सीमेंट कंक्रीट ग्राउटिंग का प्रावधान सम्मिलित किया था। इस बीओक्यू के आधार पर कार्य प्रदान किया गया और 11,66,371 एकल पीसीसी पोलों[12] में सीमेंट कंक्रीट ग्राउटिंग का कार्य किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 277.09 करोड़[13] का परिहार्य व्यय हुआ।

---

[8] एमवीवीएनएल: 81,945, पीयूवीवीएनएल: 14,66,152, पीवीवीएनएल: 3,86,128 और डीवीवीएनएल: 1,60,817।

[9] कौशाम्बी, गाज़ीपुर, आज़मगढ़, बुलन्दशहर और मुज़फ्फरनगर।

[10] पीयूवीवीएनएल: 3,281 और पीवीवीएनएल: 168।

[11] पीयूवीवीएनएल: ₹ 32.81 लाख और पीवीवीएनएल: ₹ 3.36 लाख।

[12] एमवीवीएनएल: 5,294 पोल; पीयूवीवीएनएल: 10,27,805 पोल; और पीवीवीएनएल: 1,33,272 पोल।

[13] एमवीवीएनएल: ₹ 0.72 करोड़; पीयूवीवीएनएल: ₹ 240.52 करोड़; और पीवीवीएनएल: ₹ 35.85 करोड़, पीसीसी पोल के गड्ढे भरने के सामान्य कार्य की लागत ₹ 170 प्रति पोल की दर से घटाने के पश्चात्।

सरकार ने अपने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2023) कि आरईसी द्वारा साझा किया गया मानक निविदा दस्तावेज परियोजना क्रियान्वयन के लिए एक मानक प्रारूप है और राज्यों को अपनी प्रथाओं के अनुसार परिवर्तन करने की अनुमति है। ग्रामीण विद्युतीकरण एवं द्वितीय प्रणाली नियोजन संगठन (रेस्पो), यूपीपीसीएल अनुसूचियों में भी कंक्रीटिंग सपोर्ट के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। वितरण कम्पनियों ने डीपीआर में पोलों की कंक्रीटिंग का उल्लेख किया था जिसे नोडल एजेंसी ने स्वीकृत किया था। अनुमोदित डीपीआर के आधार पर बीओक्यू तैयार किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि निविदा दस्तावेज में कार्यक्षेत्र में स्पष्ट रूप से नियत था कि सीमेंट कंक्रीट ग्राउटिंग का प्रयोग एकल पीसीसी पोल पर नहीं किया जाना था। फलस्वरूप, बीओक्यू में एकल पीसीसी पोल के लिए सीमेंट कंक्रीट ग्राउटिंग का प्रावधान, कार्यक्षेत्र के साथ असंगत था। इसके अतिरिक्त, एमवीवीएनएल ने अपनी आंतरिक टिप्पणियों में माना था कि निर्धारित मापदण्डों के अनुसार एकल पीसीसी पोलों को 200 मिलीमीटर बोल्डर से भरा जा सकता था और सीमेंट कंक्रीट ग्राउटिंग की कोई आवश्यकता नहीं थी। अग्रेतर, डीपीआर में निर्दिष्ट पोलों की कंक्रीटिंग से सम्बन्धित उत्तर भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि डीपीआर में सीमेंट कंक्रीट ग्राउटिंग के कार्य को निर्दिष्ट नहीं किया गया था और इसमें मात्र विद्युत लाइनों के लिए समग्र दरें सम्मिलित थीं।

विद्युत सुरक्षा निरीक्षण शुल्क के रूप में टीकेसीज़ को अधिक भुगतान

3.3.2 टीकेसीज़ के साथ निष्पादित अनुबंधों के नियम एवं शर्तें यह नियत करते थे कि विद्युत निरीक्षण लागत अनुबंध मूल्य में सम्मिलित थी और इसका भुगतान संविदाकार द्वारा किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि इस प्रावधान के होते हुए भी तीन वितरण कम्पनियों[14] ने टीकेसीज़ को ₹ 9.16 करोड़[15] की विद्युत सुरक्षा निरीक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति की। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के पश्चात्, दो वितरण कम्पनियों (एमवीवीएनएल और पीवीवीएनएल) ने ₹ 5.79 करोड़[16] वसूल कर लिए जिसके परिणामस्वरूप टीकेसीज़ को ₹ 3.37 करोड़[17] का अधिक भुगतान हुआ।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (जनवरी 2024) के दौरान, प्रबंधन ने जाँच के पश्चात् निरीक्षण शुल्क से सम्बन्धित किसी भी अधिक भुगतान को वसूलने पर सहमति व्यक्त की। सरकार ने प्रबंधन के उत्तर को स्वीकार किया। फरवरी 2024 में प्रबंधन (एमवीवीएनएल और पीवीवीएनएल) ने कहा कि

[14] एमवीवीएनएल, पीवीवीएनएल और डीवीवीएनएल।

[15] एमवीवीएनएल: ₹ 5.22 करोड़, पीवीवीएनएल: ₹ 1.43 करोड़ और डीवीवीएनएल: ₹ 2.51 करोड़।

[16] एमवीवीएनएल: ₹ 4.36 करोड़ और पीवीवीएनएल: ₹ 1.43 करोड़।

[17] एमवीवीएनएल: ₹ 0.86 करोड़ और डीवीवीएनएल: ₹ 2.51 करोड़।

क्रियान्वयन में विलम्ब से बचने के लिए टीकेसीज़ को भुगतान किया गया था। एमवीवीएनएल ने कहा कि शेष ₹ 0.86 करोड़ की वसूली प्रक्रियाधीन थी। डीवीवीएनएल के सम्बन्ध में प्रबंधन ने कहा कि निविदा दस्तावेज के क्लॉज़ 20बी में प्रावधान है कि कार्य के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात् विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनुमति लेनी होगी तथा आवश्यक शुल्क आदि का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाएगा।

डीवीवीएनएल का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि डीवीवीएनएल और टीकेसीज़ के मध्य अनुबंध के अनुच्छेद 1.1 में स्पष्ट रूप से संशोधनों का उल्लेख किया गया था, जिसमें 7 फरवरी 2018 का संशोधन सम्मिलित था, जिसमें प्रावधान था कि विद्युत निरीक्षण लागत अनुबंध मूल्य में सम्मिलित थी और इसका भुगतान संविदाकार द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, डीवीवीएनएल द्वारा निर्गत किए गए कार्य की अधिसूचना में भी यह स्पष्ट रूप से वर्णित था कि विद्युत सुरक्षा निदेशालय से आवश्यक विद्युतीय सुरक्षा अनापत्ति प्राप्त करना संविदाकार का उत्तरदायित्व होगा और संविदाकार को इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

सैग/जम्परिंग के मद में टीकेसीज़ को अधिक भुगतान

3.3.3 टीकेसीज़ के साथ निष्पादित अनुबंधों की धारा VII (कार्यक्षेत्र-खण्ड-I) का क्लॉज़ 3.4.2 यह नियत करता था कि लाइनों के निर्माण में प्रयुक्त एसीएसआर कंडक्टर और एरियल बंच्ड (एबी) केबल के लिए लाइनों की मापी गई लंबाई पर सैग, जम्परिंग, क्षति, हानि, अपव्यय, आदि के मद में कोई अतिरिक्त उपभोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सौभाग्य योजना के अन्तर्गत वितरण कम्पनियों द्वारा एसीएसआर कंडक्टर का उपयोग करके 11 केवी लाइनों तथा एबी केबल का उपयोग करके तीन-चरण और एकल-चरण एलटी लाइनों के निर्माण को निष्पादित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पाँच नमूना जिलों[18] में, दो वितरण कम्पनियों (पीयूवीवीएनएल और पीवीवीएनएल) ने लाइनों की स्थापित लंबाई से अधिक मात्रा में इन सामग्रियों की आपूर्ति के लिए टीकेसीज़ को कुल ₹ 1.09 करोड़[19] का अधिक भुगतान किया। इससे पता चलता है कि इन वितरण कम्पनियों द्वारा सैग, जम्परिंग, अपव्यय, आदि के लिए भुगतान किया गया था। अग्रेतर, अधिक भुगतान की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि पीयूवीवीएनएल ने एलटी और 11 केवी लाइनों के निर्माण के लिए भुगतान करने से पूर्व चार नमूना जिलों[20] में टीकेसीज़ के बिलों से सैग, जम्परिंग, अपव्यय, आदि के लिए कटौती की थी।

---

[18] पीयूवीवीएनएल - गाज़ीपुर, आज़मगढ़ और वाराणसी; तथा पीवीवीएनएल-बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर।

[19] पीयूवीवीएनएल: ₹ 0.95 करोड़ और पीवीवीएनएल: ₹ 0.14 करोड़।

[20] आज़मगढ़, वाराणसी, कौशांबी और ग़ाज़ीपुर के लिए 11 केवी लाइन तथा आज़मगढ़ और वाराणसी के लिए एलटी लाइन।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (जनवरी 2024) के दौरान प्रबंधन ने जाँच करने के पश्चात् सैग/जम्परिंग हेतु किए गए किसी भी अधिक भुगतान को वसूलने पर सहमति जताई। सरकार ने प्रबंधन के उत्तर को स्वीकार किया। फरवरी 2024 में प्रबंधन ने कहा कि पीयूवीवीएनएल ने टीकेसीज़ की शेष देनदारियों से अधिक भुगतान की वसूली आरम्भ कर दी है। पीवीवीएनएल के सम्बन्ध में प्रबंधन ने दावा किया कि स्थापना पर भुगतान, आपूर्तित मात्रा से सैग, जम्परिंग, अपव्यय, आदि के लिए तीन प्रतिशत की कटौती के बाद किया गया था इसलिए कोई अधिक भुगतान नहीं किया गया था।

पीवीवीएनएल का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि लेखापरीक्षा प्रेक्षण, सामग्रियों हेतु किए गए अधिक भुगतान से सम्बन्धित है, न की स्थापना अंश से।

समान प्रकृति के कार्य के क्रियान्वयन के कारण निष्फल व्यय

3.3.4 यूपीपीसीएल (दिसम्बर 2017) ने सौभाग्य योजना के अन्तर्गत विद्युत संयोजन निर्गत करने के लिए अस्थायी आधार पर कुशल जनशक्ति नियुक्त करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के पीछे तर्क यह था कि वितरण कम्पनियों के अधिकारी अन्य कार्यों जैसे अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन, वितरण प्रणाली का रखरखाव, राजस्व संग्रहण और चोरी रोकने में व्यस्त थे। इससे समय पर विद्युत संयोजन निर्गत करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है, जिससे संभवतः भारत सरकार से मिलने वाली अतिरिक्त सब्सिडी की हानि हो सकती है। तदनुसार, यूपीपीसीएल (फरवरी 2018) ने जनशक्ति की आउटसोर्सिंग को अंतिम रूप दिया और सभी वितरण कम्पनियों को चयनित फर्मों के साथ अनुबंध निष्पादित करने का निर्देश दिया।

इन निर्देशों के अनुपालन में, सभी वितरण कम्पनियों ने चार फर्मों[21] के साथ जनशक्ति की आपूर्ति के लिए ₹ 73.47 करोड़[22] की कुल लागत पर अनुबंध निष्पादित किये (फरवरी और मार्च 2018)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सौभाग्य योजना के दिशानिर्देशों में परियोजना प्रबंधन एजेंसियों (पीएमए) को नियुक्त करने के सिवाय, किसी जनशक्ति की तैनाती का प्रावधान सम्मिलित नहीं था। इसके अतिरिक्त, पीएमए को सौंपे गए कार्यक्षेत्र और आउटसोर्स की गयी जनशक्ति के उत्तरदायित्वों के मध्य महत्वपूर्ण अधिव्यापनों की पहचान की गई, जैसा कि नीचे बताया गया है:

[21] एमवीवीएनएल: मैसर्स जी.ए. डिजिटल वेब वर्ल्ड (प्रा.) लिमिटेड, पीयूवीवीएनएल: मैसर्स टी एण्ड एम सर्विसेज कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, पीवीवीएनएल: मैसर्स कोलाबेरा टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड और डीवीवीएनएल: मैसर्स बीवीजी इण्डिया लिमिटेड।

[22] एमवीवीएनएल: ₹ 25.71 करोड़, पीयूवीवीएनएल: ₹ 22.04 करोड़, पीवीवीएनएल: ₹ 11.02 करोड़ और डीवीवीएनएल: ₹ 14.70 करोड़।

पीएमए को सौंपा गया कार्यक्षेत्र	आउटसोर्स की गयी जनशक्ति के उत्तरदायित्व
बिल ऑफ क्वांटिटी, सामग्री और क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यों का सत्यापन, अध्ययन, संशोधन और स्थिर करने का सुझाव देना (यदि कोई आवश्यक हो)।	पूर्ण हो चुके निर्माण कार्यों के मापन में सुविधा प्रदान करना।
तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार टर्नकी संविदाकार के कार्य का 100 प्रतिशत पर्यवेक्षण और प्रमाणन, संयुक्त माप प्रमाण पत्र के रूप में, जिस पर वितरण कम्पनियों, पीएमए और टीकेसी के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे।	गाँवों और उनके मजरों के लिए तैयार अनुमोदित डीपीआर के अनुसार वितरण प्रणाली के निर्माण का समन्वय और पर्यवेक्षण करना।
निर्माता से सामग्रियों के प्रेषण-पूर्व निरीक्षण के लिए कार्यान्वयन एजेंसी/टर्नकी संविदाकार और वितरण कम्पनियों के साथ समन्वय। आपूर्ति श्रृंखला का अनुश्रवण इस प्रकार करना कि कार्यस्थल पर उपयुक्त सामग्रियों की कमी न हो तथा संविदाकार/वितरण कम्पनियों द्वारा वास्तविक कार्य के अनुरूप सामग्रियों का क्रय किया जाए, जिससे कार्य सुचारू रूप से तथा समय पर पूर्ण हो सके।	भण्डार से उस स्थान तक सामग्री के अग्रिम परिवहन का अनुश्रवण और समन्वय करना, जहाँ वितरण कम्पनियों द्वारा प्रमुख सामग्रियों की आपूर्ति की जानी है।
क्षेत्र में सेवा संयोजन प्रदान करने के लिए टर्नकी संविदाकार और यूटिलिटी के क्षेत्र अधिकारियों/प्राधिकृत अधिकारियों, मुख्य अभियंता और परियोजना विभाग के साथ नजदीकी समन्वय।	गाँवों और उनके मजरों के लिए तैयार अनुमोदित डीपीआर के अनुसार वितरण प्रणाली के निर्माण का समन्वय और पर्यवेक्षण करना।

यह स्पष्ट है कि दो एजेंसियों को लगभग समान कार्यों के लिए लगाया गया था। बाद में दिसम्बर 2018 और फरवरी 2019 के मध्य वितरण कम्पनियों द्वारा जनशक्ति अनुबंधों को निरस्त कर दिया गया था। एमवीवीएनएल ने कंसल्टेंसी मद के अन्तर्गत धन की कमी को उद्धृत करते हुए सेवा समाप्ति को उचित ठहराया, क्योंकि कंसल्टेंसी शीर्ष के अन्तर्गत पीएमए प्रभार और कम्युनिकेशन व्यय जैसे अन्य मदों के लिए भी भुगतान किया जाना था।

वितरण कम्पनियों ने चार फर्मों को जनशक्ति उपलब्ध कराने के लिए ₹ 46.27 करोड़ का भुगतान किया। अतः, जनशक्ति एजेंसी को समान कार्य सौंपकर वितरण कम्पनियों ने ₹ 46.27 करोड़[23] का निष्फल व्यय किया।

सरकार ने अपने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2023) कि पीएमए और मिशन प्रबंधकों की भूमिकाएं अलग-अलग थी। पीएमए उच्चतम गुणवत्ता के साथ कार्य का उचित कार्यान्वयन और समय पर पूर्ण होना सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी थे जबकि मिशन प्रबंधक शिविरों के आयोजन, ई-संयोजन के लेखाकरण, आदि के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को योजना के अन्तर्गत

[23] एमवीवीएनएल: ₹ 16.73 करोड़, पीयूवीवीएनएल: ₹ 15.44 करोड़, पीवीवीएनएल: ₹ 6.85 करोड़ और डीवीवीएनएल: ₹ 7.25 करोड़।

विद्युत संयोजन प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने के कार्य में लगे हुए थे। हालांकि, जब यह ज्ञात हुआ कि इन फर्मों की सेवाओं की आवश्यकता नहीं थी, तो उनके अनुबंध निरस्त कर दिए गए। एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (जनवरी 2024) के दौरान, प्रबंधन ने कहा कि यूपीपीसीएल ने योजना के कार्यों के लिए जनशक्ति एजेंसियों को नियुक्त किया था और इन एजेंसियों पर किया गया व्यय योजना के पीएमए शीर्ष से वहन किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि पीएमए का कार्यक्षेत्र सौभाग्य योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में परियोजना की अवधारणा से लेकर उसके क्रियान्वयन तक सम्पूर्ण परियोजना प्रबंधन सेवाएं प्रदान करना था।

कोई भी सेवा संयोजन निर्गत किए बिना अवसंरचना का निर्माण

3.3.5 टीकेसीज़ को सौंपे गए कार्यक्षेत्र के अनुसार, एलटी या 11 केवी लाइनों के अत्यधिक निर्माण को रोकने के लिए स्थानों के उचित सर्वेक्षण के बाद ही सेवा संयोजन निर्गत किए जाने थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि टीकेसीज़ ने बिना कोई सेवा संयोजन निर्गत किए 13 नमूना जिलों[24] में 2,919 मजरों[25] में ₹ 140.34 करोड़[26] मूल्य के एचटी/एलटी अवसंरचना का निर्माण किया। यह इंगित करता है कि योजना में नियत उचित सर्वेक्षण करने की आवश्यकता का पालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उन क्षेत्रों में अवसंरचना का निर्माण हुआ, जहाँ सेवा संयोजन का अनुरोध नहीं किया गया था।

सरकार ने अपने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2023) कि अवसंरचना का निर्माण किया गया तथा परिवारों को संयोजन लेने के लिए कहा गया, लेकिन उनकी अनिच्छा के कारण, कुछ मजरों में संयोजन प्रदान नहीं किए जा सके। उसने अग्रेतर कहा कि उस समय निर्मित अवसंरचना का उपयोग बाद में किया जा रहा था। एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (जनवरी 2024) के दौरान प्रबंधन ने कहा कि इन मजरों में अब संयोजन निर्गत किए जा रहे थे और यह प्रक्रिया प्रगति पर है।

उत्तर यह इंगित करता है कि सर्वेक्षण प्रक्रिया में निकृष्ट नियोजन था एवं सम्यक सतर्कता का अभाव था, जो कि योजना के दिशानिर्देशों के अन्तर्गत एक अनिवार्य पूर्व शर्त थी।

---

[24] कुल 16 नमूना जिलों में से, एमवीवीएनएल: लखनऊ, बलरामपुर, सुल्तानपुर, गोंडा, हरदोई और अयोध्या, पीयूवीवीएनएल: वाराणसी और आज़मगढ़, पीवीवीएनएल: बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर, तथा डीवीवीएनएल-कानपुर देहात, मैनपुरी और फिरोजाबाद।

[25] एमवीवीएनएल: 2,291 मजरों, पीयूवीवीएनएल: 366 मजरों, पीवीवीएनएल: 22 मजरों और डीवीवीएनएल: 240 मजरों।

[26] एमवीवीएनएल: ₹ 124.07 करोड़, पीयूवीवीएनएल: ₹ 8.07 करोड़, पीवीवीएनएल: ₹ 0.81 करोड़ और डीवीवीएनएल: ₹ 7.39 करोड़।

अपात्र उपभोक्ताओं को संयोजन निर्गत करना

3.3.6 सौभाग्य योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत परिवारों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और विद्युत् संयोजन प्रदान करना था। इस योजना के अन्तर्गत विद्युत् संयोजन 'घरेलू प्रकाश, पंखे और विद्युत्' श्रेणी (एलएमवी-1) के अन्तर्गत आते हैं।

सौभाग्य योजना के अन्तर्गत निर्गत संयोजनों के आँकड़ों के साथ-साथ 16 नमूना जिलों से दिसम्बर 2022 के बिलिंग डाटा के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि योजना के अन्तर्गत निर्गत 13,95,892 संयोजनों में से 5,063 संयोजन[27] एलएमवी-1[28] के अतिरिक्त अन्य श्रेणियों से सम्बन्धित थे। ये संयोजन सौभाग्य योजना के अन्तर्गत अपात्र थे। तथापि, वितरण कम्पनियों ने इन अपात्र संयोजनों के लिए टीकेसीज़ को ₹ 1.35 करोड़[29] का भुगतान किया।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (जनवरी 2024) के दौरान प्रबंधन ने प्रकरण की जाँच करने के बाद वसूली आरम्भ करने पर सहमति जताई। सरकार ने प्रबंधन की प्रतिक्रिया को स्वीकार किया।

प्रबंधन ने फरवरी 2024 में कहा कि पीयूवीवीएनएल में एलएमवी-1 के अतिरिक्त अन्य श्रेणियों के संयोजनों को त्रुटिवश सौभाग्य योजना के अन्तर्गत निर्गत के रूप में चिह्नित कर दिया गया था। शेष तीन वितरण कम्पनियों ने इस विषय को स्वीकार किया और बताया कि टीकेसीज़ से वसूली प्रक्रियाधीन है, लेकिन उन्होंने लेखापरीक्षा द्वारा चिह्नित विशिष्ट प्रकरणों के विरुद्ध वसूली का ब्यौरा नहीं दिया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि पीयूवीवीएनएल ने परियोजना समापन के दौरान सौभाग्य योजना के अन्तर्गत ऐसे 1,338 संयोजन सम्मिलित किए थे।

स्मार्ट मीटरों के स्थान पर स्थैतिक ऊर्जा मीटरों का संस्थापन

3.3.7 सौभाग्य योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, उपभोक्ताओं के परिसरों में राज्य की विद्यमान मीटरिंग प्रणाली के साथ संगत स्मार्ट मीटर संस्थापित किये जाने थे।

---

[27] एमवीवीएनएल: 3,021, पीयूवीवीएनएल: 1,338, पीवीवीएनएल: 198 और डीवीवीएनएल: 506।

[28] गैर-घरेलू प्रकाश, पंखा और विद्युत् के उपभोक्ता (एलएमवी-2), सार्वजनिक और निजी संस्थान के लिए प्रकाश, पंखा और विद्युत् (एलएमवी-4), सिंचाई उद्देश्य के लिए निजी ट्यूबवेल/पंपिंग सेट के लिए लघु विद्युत् (एलएमवी-5), लघु और मध्यम विद्युत् (एलएमवी-6), सार्वजनिक जल कार्य (एलएमवी-7), राजकीय ट्यूबवेल, पंचायती राज ट्यूबवेल और पंप नहरें (एलएमवी-8), अस्थायी आपूर्ति (एलएमवी-9), गैर-औद्योगिक उच्च भार (एचवी-1) तथा बड़ी और भारी विद्युत् (एचवी-2)।

[29] एमवीवीएनएल: ₹ 0.75 करोड़, पीयूवीवीएनएल: ₹ 0.39 करोड़, पीवीवीएनएल: ₹ 0.06 करोड़ और डीवीवीएनएल: ₹ 0.15 करोड़।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वितरण कम्पनियों ने योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए उपभोक्ताओं के परिसरों में स्मार्ट मीटरों के स्थान पर सिंगल फेज पूर्णतया स्थैतिक ऊर्जा मीटर संस्थापित किए। स्मार्ट मीटर नहीं लगाने से, वितरण कम्पनियाँ स्मार्ट मीटर के संभावित लाभों, जैसे एटी एण्ड सी हानियों में कमी, बिलिंग दक्षता में सुधार, पीक लोड का प्रबंधन और उपभोक्ता अनुभव में वृद्धि से वंचित रह गयी।

सरकार ने अपने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2023) कि ग्रामीण क्षेत्र सिंगल फेज ऊर्जा मीटर के साथ संगत थे। उसने अग्रेतर स्पष्ट किया कि स्मार्ट मीटरों से रियल-टाइम जानकारी एकत्र करने के लिए स्काडा/डीएमएस/आईटी/ओटी कार्यान्वित करने का कोई प्रावधान नहीं था और स्मार्ट मीटरों की स्थापना को वितरण कम्पनियों की बिलिंग प्रणालियों के साथ मैप नहीं किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त, योजना के दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट प्रति संयोजन क्रियान्वित लागत ₹ 3,000 प्रति संयोजन निर्धारित की गई थी, जबकि स्मार्ट मीटर की लागत स्थैतिक ऊर्जा मीटर की तुलना में 2.5 से 4.0 गुना अधिक थी। सौभाग्य योजना के दिशानिर्देशों का प्रस्तर 8.3 भी यह निर्दिष्ट करता था कि डीडीयूजीजेवाई योजना के अन्तर्गत सेवा संयोजनों के लिए विद्यमान विनिर्देश सौभाग्य के अन्तर्गत भी प्रचलित रहेंगे। अग्रेतर, डीडीयूजीजेवाई योजना में स्मार्ट मीटर संस्थापित करने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान सम्मिलित नहीं था। अंततः उत्तर में कहा गया कि सौभाग्य योजना के दिशानिर्देशों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विनिर्देशों के अनुसार संगत ऊर्जा मीटर संस्थापित किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि डीडीयूजीजेवाई योजना में मीटर-रहित उपभोक्ताओं के लिए मीटर लगाने का प्रावधान था, जबकि सौभाग्य योजना में स्पष्ट रूप से विद्युत् संयोजन प्रदान करते समय सभी गैर-विद्युतीकृत परिवारों में स्मार्ट मीटर लगाने का प्रावधान था। इसके अतिरिक्त, वितरण कम्पनियाँ स्मार्ट मीटर की उच्च लागत के बारे में अनुश्रवण समिति या आरईसी को सूचित करने तथा संशोधित अनुमोदन प्राप्त करने में विफल रही।

टीकेसीज़ को अधिक भुगतान

3.3.8 सभी वितरण कम्पनियों ने विभिन्न योजनाओं, जैसे आरजीजीवीवाई 12वीं योजना (2013-2022), डीडीयूजीजेवाई (2015-2022) और सौभाग्य (2017-2021) के क्रियान्वयन में भाग लिया। उपर्युक्त तीनों योजनाओं के अन्तर्गत बीपीएल परिवारों सहित ग्रामीण परिवारों को संयोजन निर्गत किए गए थे। इसके अतिरिक्त, बिजनेस प्लान के अन्तर्गत मीटर-रहित संयोजनों पर भी मीटर लगाए गए थे तथा वितरण कम्पनियों द्वारा अपने नियमित व्यावसायिक परिचालन के रूप में संयोजन निर्गत किए गए थे।

नमूना जिलों में सौभाग्य योजना के निर्गत संयोजन डाटा की जाँच और उक्त डाटा का आरजीजीवीवाई 12वीं प्लान योजना, डीडीयूजीजेवाई योजना

(मीटर-रहित संयोजनों पर मीटर लगाना) और बिजनेस प्लान के अन्तर्गत मीटरों की संस्थापना के साथ प्रतिपृच्छा के दौरान, लेखापरीक्षा ने सौभाग्य योजना के अन्तर्गत टीकेसीज़ द्वारा निर्गत और दावा किए गए संयोजनों में दोहराव देखा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 26.65 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

(अ) समान संयोजनों के लिए दोहरे दावे और भुगतान

टीकेसीज़ द्वारा 16 नमूना जिलों में सौभाग्य योजना के अन्तर्गत निर्गत और दावा किए गए संयोजनों के विश्लेषण से पता चला कि एमवीवीएनएल में, टीकेसीज़ ने समान नाम, पिता के नाम और पते के साथ 5,334 संयोजनों के लिए दोहरे दावे प्रस्तुत किये। इसी तरह, पीयूवीवीएनएल, पीवीवीएनएल और डीवीवीएनएल में, टीकेसीज़ ने एक ही खाता संख्या के साथ 2,736 संयोजनों[30] के लिए दोहरे दावे प्रस्तुत किए। वितरण कम्पनियों ने इन दोहरे दावों के लिए टीकेसीज़ को ₹ 2.14 करोड़[31] का भुगतान किया।

(ब) डीडीयूजीजेवाई योजना के अन्तर्गत पहले ही निर्गत संयोजनों के लिए दावे और भुगतान

सौभाग्य योजना के अन्तर्गत निर्गत किये गये नए संयोजनों और 16 नमूना जिलों में डीडीयूजीजेवाई योजना के अन्तर्गत मीटर-रहित संयोजनों पर मीटर लगाने के विश्लेषण से पता चला कि टीकेसीज़ ने 26,059 संयोजनों[32] के लिए सौभाग्य योजना के अन्तर्गत दावे प्रस्तुत किए थे, जहाँ डीडीयूजीजेवाई योजना के अन्तर्गत मीटर पहले ही लगाए जा चुके थे। वितरण कम्पनियों ने इन दावों के लिए टीकेसीज़ को ₹ 7.09 करोड़[33] का भुगतान किया ।

(स) आरजीजीवीवाई 12वीं प्लान योजना के अन्तर्गत पहले ही निर्गत संयोजनों के लिए दावे और भुगतान

सोलह नमूना जिलों में से तीन वितरण कम्पनियों (एमवीवीएनएल, पीयूवीवीएनएल और डीवीवीएनएल) के 14 जिलों[34] में आरजीजीवीवाई 12वीं प्लान योजना और सौभाग्य योजना के संयोजन डाटा का विश्लेषण मीटर संख्या, नाम और खाता संख्या का उपयोग करके किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि टीकेसीज़ ने 9,037 बीपीएल संयोजनों[35] के लिए सौभाग्य योजना के

---

[30] पीयूवीवीएनएल: 2,100, पीवीवीएनएल: 619, और डीवीवीएनएल: 17।

[31] एमवीवीएनएल: ₹ 1.33 करोड़, पीयूवीवीएनएल: ₹ 0.63 करोड़, पीवीवीएनएल: ₹ 0.18 करोड़ और डीवीवीएनएल: ₹ 0.001 करोड़।

[32] एमवीवीएनएल: 12,897, पीयूवीवीएनएल: 12,475, पीवीवीएनएल: 353 और डीवीवीएनएल: 334।

[33] एमवीवीएनएल: ₹ 3.24 करोड़, पीयूवीवीएनएल: ₹ 3.65 करोड़, पीवीवीएनएल: ₹ 0.10 करोड़ और डीवीवीएनएल: ₹ 0.10 करोड़।

[34] पीवीवीएनएल के दो जिलों अर्थात् बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर में 12वीं प्लान के अन्तर्गत कोई कार्य नहीं किया गया।

[35] एमवीवीएनएल: 1,588, पीयूवीवीएनएल: 3,903 और डीवीवीएनएल: 3,546।

अन्तर्गत दावे प्रस्तुत किये थे जो आरजीजीवीवाई 12वीं प्लान योजना के अन्तर्गत पहले ही निर्गत किए जा चुके थे। वितरण कम्पनियों ने इन दावों के लिए टीकेसीज़ को ₹ 2.62 करोड़[36] का भुगतान किया।

(द) बिजनेस प्लान के अन्तर्गत पहले से संस्थापित मीटरों के लिए दावे और भुगतान

बिजनेस प्लान और सौभाग्य योजना के अन्तर्गत मीटर-युक्त किये गये मीटर-रहित उपभोक्ताओं के खाता संख्या के विश्लेषण से पता चला कि टीकेसीज़ ने सौभाग्य योजना के अन्तर्गत 35,623 संयोजनों[37] के लिए दावे प्रस्तुत किये, जबकि ये संयोजन पहले ही बिजनेस प्लान के अन्तर्गत मीटर-युक्त किये जा चुके थे। वितरण कम्पनियों ने इन दावों के लिए टीकेसीज़ को ₹ 9.67 करोड़[38] का भुगतान किया।

(य) योजना के आरम्भ से पूर्व निर्गत किए गए संयोजनों के लिए दावे और भुगतान

सौभाग्य योजना 11 अक्टूबर 2017 को आरम्भ की गई थी तथा टीकेसीज़ की नियुक्ति मार्च 2018 और मई 2018 के मध्य की गई थी।

सौभाग्य योजना के अन्तर्गत निर्गत संयोजनों के आँकड़ों के साथ 16 नमूना जिलों के दिसम्बर 2022 के बिलिंग डाटा के लेखापरीक्षा विश्लेषण[39] से पता चला कि 2,424 उपभोक्ताओं[40] को संयोजन योजना की आरम्भ तिथि[41] से पहले निर्गत कर दिए गए थे। इससे पता चलता है कि ये संयोजन टीकेसीज़ द्वारा निर्गत नहीं किए गए थे। तथापि, टीकेसीज़ ने इन संयोजनों के लिए ₹ 71.51 लाख[42] के भुगतान का दावा किया, जिसका भुगतान वितरण कम्पनियों द्वारा किया गया और बाद में आरईसी को प्रस्तुत समापन प्रतिवेदन में दावा किया गया।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (जनवरी 2024) के दौरान, यूपीपीसीएल ने वितरण कम्पनियों को विभिन्न योजनाओं में दोहरे संयोजनों की जाँच करने और अमान्य धनराशि की वसूली तथा अंतिम डाटा/दस्तावेज साक्ष्य लेखापरीक्षा को प्रदान करने का निर्देश दिया। सरकार ने प्रबंधन की कार्रवाई को स्वीकार किया।

---

[36] एमवीवीएनएल: ₹ 0.38 करोड़, पीयूवीवीएनएल: ₹ 1.18 करोड़ और डीवीवीएनएल: ₹ 1.06 करोड़।

[37] एमवीवीएनएल: 19,396 और पीयूवीवीएनएल: 16,227।

[38] एमवीवीएनएल: ₹ 4.98 करोड़ और पीयूवीवीएनएल: ₹ 4.69 करोड़।

[39] टीकेसीज़ द्वारा निर्गत उपभोक्ता संयोजन डाटा का मिलान वितरण कम्पनियों के बिलिंग डाटा के साथ किया गया।

[40] एमवीवीएनएल: 14, पीयूवीवीएनएल: 391, पीवीवीएनएल: 703 और डीवीवीएनएल: 1,316

[41] प्रस्तर संख्या 3.3.8 (ब), (स), और (द) के अन्तर्गत आच्छादित डीडीयूजीजेवाई, आरजीजीवीवाई 12वीं प्लान और बिजनेस प्लान के अन्तर्गत निर्गत संयोजनों को छोड़कर।

[42] एमवीवीएनएल: ₹ 0.32 लाख, पीयूवीवीएनएल: ₹ 11.55 लाख, पीवीवीएनएल: ₹ 20.16 लाख, और डीवीवीएनएल: ₹ 39.48 लाख।

तत्पश्चात्, फरवरी 2024 में, प्रबंधन ने कहा कि एमवीवीएनएल में 28,314 दोहरे/अनियमित संयोजनों के लिए टीकेसीज़ से ₹ 6.53 करोड़ की वसूली की जाएगी। पीयूवीवीएनएल में 35,837 दोहरे संयोजनों की पहचान की गई है और ₹ 8.66 करोड़ की शास्ति आरोपित की गई है, जिसमें से ₹ 4.54 करोड़ की वसूली कर ली गई है। शेष धनराशि टीकेसीज़ के शेष बकाया से वसूल की जाएगी। पीवीवीएनएल में दोहरे और गैर-लेजरकृत संयोजनों के लिए वसूली की जा चुकी है/प्रगति पर है। डीवीवीएनएल में, सौभाग्य योजना के अन्तर्गत कोई दोहरा संयोजन नहीं पाया गया, परन्तु सौभाग्य-डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य-12वीं प्लान योजनाओं में क्रमशः 289 और 1,714 दोहरे संयोजन पाये गये, जिसके लिये टीकेसीज़ से वसूली की जायेगी। डीवीवीएनएल ने यह भी दावा किया कि सौभाग्य के अन्तर्गत किसी भी उपभोक्ता की संयोजन निर्गत तिथि 10 अक्टूबर 2017 से पहले की नहीं थी।

लेखापरीक्षा यह स्वीकार करता है कि वितरण कम्पनियों ने दोहरे संयोजनों की पहचान करने तथा टीकेसीज़ से धनराशि वसूलने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। डीवीवीएनएल के उत्तर के सम्बन्ध में, कि सौभाग्य के अन्तर्गत किसी भी उपभोक्ता की संयोजन निर्गत तिथि 10 अक्टूबर 2017 से पहले की नहीं थी, लेखापरीक्षा के विश्लेषण से पता चला कि डीवीवीएनएल से संबद्ध 1,316 संयोजन वास्तव में योजना की आरंभ तिथि से पहले निर्गत किए गए थे।

दोहरे एसपीवी संयोजनों के लिए टीकेसीज़ को अधिक भुगतान

3.3.9 सौभाग्य योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, सुदूर और दुर्गम गाँवों/ मजरों, जहाँ ग्रिड विस्तार व्यावहारिक या लागत प्रभावी नहीं था, के गैर-विद्युतीकृत परिवारों के लिए सौर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) आधारित एकल प्रणाली प्रदान किया जाना था। योजना के अन्तर्गत वितरण कम्पनियों ने 53,234 एसपीवी[43] संयोजन संस्थापित किये।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि एमवीवीएनएल में 672 एसपीवी संयोजन और डीवीवीएनएल में 32 एसपीवी संयोजन मतदाता पहचान पत्र/आधार संख्या के आधार पर दोहरे थे। पीयूवीवीएनएल में नाम, पिता का नाम और अन्य फ़ील्डों के आधार पर 232 संयोजन दोहरे थे। वितरण कम्पनियों ने इन दोहरे संयोजनों के लिए टीकेसीज़ को ₹ 4.41 करोड़[44] का भुगतान किया।

अपने उत्तर में, सरकार ने कहा (दिसम्बर 2023) कि पीयूवीवीएनएल और एमवीवीएनएल में एक ही नाम, पिता का नाम और मोबाइल नंबर वाले उपभोक्ताओं को, नोडल संस्था, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा

[43] एमवीवीएनएल: 16,511; पीयूवीवीएनएल: 33,072; पीवीवीएनएल: 1,065; और डीवीवीएनएल: 2,586।

[44] 936 संयोजन x ₹ 47,129 प्रति संयोजन।

विकास अभिकरण (यूपीनेडा) को भुगतान करने से पूर्व, भौतिक रूप से सत्यापित किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि दोहरे ऑफ-ग्रिड संयोजनों के लिए कोई भुगतान नहीं किया जायेगा। डीवीवीएनएल के कुछ जिलों में उपभोक्ताओं की यूआईडी तो एक जैसी पाई गई, परन्तु नाम, पिता का नाम और सोलर पैनल नंबर भिन्न थे। इस प्रकार, उपभोक्ता भिन्न थे और कोई दोहरे संयोजन निर्गत नहीं किये गये थे।

पीयूवीवीएनएल और एमवीवीएनएल के प्रकरण में उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि दोहरे संयोजनों के लिए भुगतान पहले ही किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, मसौदा रिपोर्ट (अप्रैल 2023) निर्गत होने की तिथि से 19 माह व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी, वितरण कम्पनियों (पीयूवीवीएनएल और एमवीवीएनएल) ने नवम्बर 2024 तक समीक्षा और समाधान प्रक्रिया पूरी नहीं की थी। अग्रेतर, डीवीवीएनएल के प्रकरण में उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि दो अलग-अलग उपभोक्ताओं के पास एक ही यूआईडी नहीं हो सकती है।

संस्तुति 3:

वितरण कम्पनियाँ, टीकेसीज़ के कार्य के अनुश्रवण के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित कर सकतीं हैं, जिससे दोहरे संयोजनों की पहचान की जा सके और टीकेसीज़ को अधिक भुगतान रोका जा सके।

टीकेसीज़ के पास पड़ी विभागीय रूप से निर्गत सामग्री की लागत नहीं वसूली गयी

3.3.10 टीकेसीज़ के साथ निष्पादित अनुबंधों के अनुसार, टीकेसीज़ को अपने सम्बन्धित पैकेज के अन्तर्गत उपकरण/सामग्रियों को प्राप्त करने के दो माह के अन्दर भुगतान और सामग्री के लेखों को मिलान हेतु जमा करना आवश्यक था। ऐसा नहीं करने पर, परियोजना प्रबंधकों द्वारा निर्धारित, अलेखांकित सामग्रियों की लागत के लिए संविदाकारों के बकाया बिलों से आवश्यक वसूली की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पीयूवीवीएनएल में, चार टीकेसीज़[45] ने पाँच जिलों में ₹ 68.98 लाख मूल्य की विभागीय सामग्री योजना के पूर्ण होने के पश्चात् भी वापस नहीं की थी। पीयूवीवीएनएल द्वारा ऐसे टीकेसीज़ के विरुद्ध सितम्बर 2022 और अगस्त 2023 के बीच संशोधित शास्ति आदेश निर्गत किए गए थे। इसके अतिरिक्त, डीवीवीएनएल ने छः जिलों[46] में टीकेसीज़ को निर्गत विभागीय सामग्री के सापेक्ष ₹ 16.30 लाख वसूल नहीं किये थे (मार्च 2023 तक)।

[45] एल एण्ड टी लिमिटेड, टीएजी सिस्टम, जैक्सन प्राइवेट लिमिटेड, और बजाज इलेक्ट्रिकल लिमिटेड।

[46] चित्रकूट, बांदा, महोबा, और हमीरपुर (टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड): ₹ 13.42 लाख; तथा आगरा और मथुरा (एनसीसी लिमिटेड): ₹ 2.88 लाख।

अपने उत्तर में, सरकार ने कहा (दिसम्बर 2023) कि डीवीवीएनएल में, सौभाग्य योजना के अन्तर्गत प्रत्येक टीकेसीज़ के साथ सामग्री मिलान किया गया था और टीकेसीज़ के बिलों से ₹ 21 करोड़ की आवश्यक कटौती की गई थी। टीकेसीज़ की लंबित देनदारियों से ₹ 16.30 लाख की शेष धनराशि की कटौती की जा रही है।

पीयूवीवीएनएल के प्रबंधन ने सूचित किया (नवम्बर 2024) कि सामग्री जिसका मिलान नहीं हो सका, हेतु ₹ 68.98 लाख की वसूली के लिए टीकेसीज़ को संशोधित कार्यालय ज्ञापन निर्गत किए गए थे और वसूली प्रक्रियाधीन है।

अनिच्छुक परिवारों का डाटा नहीं रखा गया

3.3.11 सौभाग्य योजना के दिशानिर्देशों के प्रस्तर 8.6 के अनुसार यूटिलिटीज़ को, योजना के अन्तर्गत निःशुल्क विद्युत संयोजन लेने के लिए अनिच्छुक गैर-विद्युतीकृत परिवारों का डाटा रखना आवश्यक था, जिसमें परिवारों की उचित पहचान और सम्बन्धित परिवारों द्वारा उद्धृत कारण सम्मिलित हो।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निःशुल्क विद्युत संयोजन लेने के लिए अनिच्छुक गैर-विद्युतीकृत परिवारों का विवरण, किसी भी वितरण कम्पनी द्वारा नहीं रखा गया था। फलस्वरूप, योजना के समापन पर राज्य में गैर-विद्युतीकृत परिवारों की स्थिति सुनिश्चित करना संभव नहीं था।

अपने उत्तर में सरकार ने कहा (दिसम्बर 2023) कि सर्वेक्षण के दौरान जो गैर-विद्युतीकृत उपभोक्ता प्रारम्भ में निःशुल्क संयोजन लेने के लिए इच्छुक थे, उन्होंने बाद में क्रियान्वयन के समय संयोजन लेने से मना कर दिया। ऐसे उपभोक्ताओं की संयोजन लेने की इच्छा समय के साथ बदलती रही। इसलिए, निःशुल्क विद्युत संयोजन का लाभ लेने के अनिच्छुक गैर-विद्युतीकृत परिवारों का डाटा नहीं रखा जा सका। सरकार ने आगे कहा कि ऐसा डाटा अवास्तविक या अप्रासंगिक होता और भविष्य की घरेलू विद्युतीकरण योजनाओं के लिए इसका कोई उपयोग नहीं होता, क्योंकि गैर-विद्युतीकृत परिवारों की संख्या परिवर्तनीय है। किसी भी योजना को आरम्भ करने से पूर्व वास्तविक डाटा प्राप्त करने के लिए एक नए सर्वेक्षण की आवश्यकता होती है। एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (जनवरी 2024) के दौरान, प्रबंधन ने कहा कि अनिच्छुक परिवारों का डाटा नहीं रखा गया था क्योंकि यह बार-बार बदलता रहता था और इसलिए उपयोगी नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि योजना के दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से उन गैर-विद्युतीकृत परिवारों, जो निःशुल्क विद्युत संयोजन का लाभ लेने के लिए अनिच्छुक थे, के डाटा को, ऐसे परिवारों द्वारा उद्धृत कारणों सहित रखने की आवश्यकता थी।

अपर्याप्त एसएलएससी बैठकें

3.3.12 उ.प्र. सरकार ने आरजीजीवीवाई योजना के अन्तर्गत कार्यों के क्रियान्वयन के दौरान प्रगति की समीक्षा और समस्याओं के समाधान के लिए अक्टूबर 2013 में एसएलएससी का गठन किया था, जिसमें एसएलएससी के लिए माह में कम से कम एक बार बैठक करना आवश्यक था। फरवरी 2015 में, उ.प्र. सरकार ने एसएलएससी की भूमिका का विस्तार करते हुए उसमें डीडीयूजीजेवाई योजना के अन्तर्गत कार्यों को सम्मिलित कर दिया। अग्रेतर, सौभाग्य योजना के लिए भी यही अनुश्रवण क्रियाविधि अपनायी जानी थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान मात्र 12 एसएलएससी बैठकें आयोजित की गईं, जो आवश्यक 86 बैठकों, जिन्हें फरवरी 2015 से मार्च 2022 तक मासिक रूप से आयोजित किया जाना था, से बहुत कम थीं।

सरकार ने अपने उत्तर में प्रेक्षण को स्वीकार किया और कहा (दिसम्बर 2023) कि बैठकों की कम संख्या विभिन्न प्रशासनिक कारणों से थी, जिसमें मुख्य सचिव की अनुपलब्धता भी सम्मिलित थी, जो एसएलएससी की अध्यक्षता करते हैं और कई अन्य ऐसी समितियों के अध्यक्ष हैं।

अपर्याप्त दिशा बैठकें

3.3.13 डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार, दिशा को प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में दिशा की आवश्यक 2,100 बैठकों के सापेक्ष मात्र 581 बैठकें (27.67 प्रतिशत) ही आयोजित की गईं थीं। परिणामस्वरूप, दिशा नियमित अंतराल पर योजनाओं की प्रगति का अनुश्रवण नहीं कर सकी।

सरकार ने अपने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2023) कि दिशा के अध्यक्ष सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों के सांसद या सम्बन्धित जिलों के जिलाधिकारी थे। अन्य सदस्यों में विधानसभा के सदस्य (एमएलए) और जिला प्रशासन एवं विद्युत विभाग सहित सरकारी विभागों के अधिकारी सम्मिलित थे। सदस्यों की अनुपलब्धता के कारण बैठकें प्रभावित हुईं। कोविड-19 महामारी ने भी बैठकों को प्रभावित किया।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि दिशा के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी सदस्यों को नामित न किए जाने पर भी बैठकें आयोजित की जा सकतीं थीं। नामित अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, सह-अध्यक्ष (यदि कोई हो) बैठक की अध्यक्षता कर सकता था। यदि न तो अध्यक्ष और न ही सह-अध्यक्ष उपस्थित हों, तो उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अपने मध्य से एक अध्यक्ष का चुनाव कर सकते थे।

संस्तुति 4:

उ.प्र. सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि एसएलएससी और दिशा की बैठकें मानदण्डों के अनुसार आयोजित की जाएं, ताकि समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

निष्कर्ष

डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजनाओं के कार्यान्वयन ने नियोजन और क्रियान्वयन सम्बन्धी महत्वपूर्ण कमियाँ अनुभव की। दोनों योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत और क्रियान्वित मात्राओं के मध्य अत्यधिक भिन्नताएँ थी। कार्यक्षेत्र के प्रावधानों के विपरीत कार्य किए गए, जिसके परिणामस्वरूप परिहार्य व्यय हुआ। कृषि और गैर-कृषि फीडरों के पृथक्करण का उद्देश्य बड़े पैमाने पर अप्राप्त था। योजना दिशानिर्देशों और अनुबंधों के प्रावधानों का पालन करने में वितरण कम्पनियों की विफलता के परिणामस्वरूप परिहार्य व्यय और संविदाकारों को अधिक भुगतान हुआ। स्मार्ट मीटर के स्थान पर स्थैतिक मीटर लगाने से योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन हुआ। कई मजरों में समरूप सेवा संयोजन के बिना अवसंरचना का निर्माण, निकृष्ट नियोजन और क्रियान्वयन प्रथाओं को प्रतिबिम्बित करता है। दोहरे दावों और भुगतानों के कई दृष्टांत सत्यापन और भुगतान प्रणालियों में गंभीर कमजोरियों को उजागर करते हैं। एसएलएससी और दिशा बैठकों की अपर्याप्त संख्या ने नियमित अनुश्रवण और निरीक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। ये कमियों न केवल बहुत अधिक वित्तीय निहितर्थों का कारण बनी, अपितु इन्होंने योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति को भी प्रभावित किया।

अध्याय-IV

लाभार्थियों का सर्वेक्षण

अध्याय-IV

लाभार्थियों का सर्वेक्षण

यह अध्याय उत्तर प्रदेश में सौभाग्य योजना के कार्यान्वयन और प्रभाव का आकलन करने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा किए गए लाभार्थियों के सर्वेक्षण के परिणाम प्रस्तुत करता है। सर्वेक्षण में 16 जनपदों के 2,208 लाभार्थियों और 224 गाँवों को आच्छादित किया गया है।

अधिकांश उत्तरदाताओं ने ऊर्जा मीटर (94.66 प्रतिशत), स्थिर विद्युत आपूर्ति (55.84 प्रतिशत), उपभोक्ता वस्तुओं तक पहुँच में सुधार (81.79 प्रतिशत), बच्चों के लिए अध्ययन के घंटों में वृद्धि (71.11 प्रतिशत) और रात्रि में बढ़ी हुई गतिशीलता और सुरक्षा (98.91 प्रतिशत) प्राप्त करने की पुष्टि की। इसी तरह, अधिकांश ग्राम प्रधानों ने अपने गाँवों में पर्याप्त संख्या में वितरण ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता (80.80 प्रतिशत) की पुष्टि की और वोल्टेज स्टेबलाइजर्स/इनवर्टर्स (85.71 प्रतिशत) का कोई उपयोग नहीं होने की सूचना दी। दूसरी ओर, 41.89 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने वोल्टेज में उतार-चढ़ाव की सूचना दी और 44.75 प्रतिशत को एलईडी लैंप नहीं मिले। इसके अतिरिक्त, 16.07 प्रतिशत ग्राम प्रधानों ने वितरण ट्रांसफार्मरों की अपर्याप्तता पर प्रकाश डाला।

प्रस्तावना

4.1 सौभाग्य योजना के कार्यान्वयन और लक्षित आबादी तक परिकल्पित लाभ किस सीमा तक प्राप्त हुए, के सम्बन्ध में लाभार्थियों और ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों के विचार जानने के लिए, लेखापरीक्षा ने अगस्त-अक्टूबर 2021 और जनवरी-फरवरी 2023 के दौरान एक सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में सभी 16 नमूना जिलों के 47 चयनित ब्लॉकों में से प्रत्येक से दो से पाँच गाँवों को आच्छादित किया गया।

सर्वेक्षण के लिए प्रश्नावलियों के दो स्वतंत्र सेट तैयार किए गए। एक लाभार्थियों के सर्वेक्षण के लिए और दूसरा गाँव के सर्वेक्षण के लिए। इन प्रश्नावलियों में, योजना के अन्तर्गत परिकल्पित लाभों के विभिन्न तत्व सम्मिलित थे। सर्वेक्षण करने के लिए लेखापरीक्षा कार्मिकों ने चयनित गाँवों में

लाभार्थियों और ग्राम प्रधानों के घरों का दौरा किया। सहमति प्राप्त करने के बाद, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दर्ज किए गए तथा पूर्ण प्रश्नावली पर लाभार्थियों और लेखापरीक्षा कार्मिकों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए गए। इसके अतिरिक्त, जियो टैगिंग के साथ सर्वेक्षण किये गये लाभार्थियों की छायाचित्र ली गयीं।

सर्वेक्षण में 16 नमूना जिलों के 232 चयनित गाँवों[1] में से 224 गाँवों के 2,208 लाभार्थी आच्छादित थे।

लाभार्थियों के सर्वेक्षण का परिणाम

4.2 सर्वेक्षण का लक्ष्य योजना की प्रभावशीलता और उनके जीवन पर इसके प्रभाव के सम्बन्ध में लाभार्थियों के अनुभवों को अभिलिखित करना था। लाभार्थियों के सर्वेक्षण के परिणामों की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है।

लाभार्थियों को एलईडी लैंपों और ऊर्जा मीटरों का प्रावधान

4.2.1 सौभाग्य योजना के दिशानिर्देशों के प्रस्तर 2.4 के अनुसार, योजना के अन्तर्गत गैर-विद्युतीकृत परिवारों को विद्युत संयोजन में अन्य बातों के साथ-साथ लाभार्थियों को ऊर्जा मीटर और एलईडी लैंप का प्रावधान सम्मिलित था।

सर्वेक्षण किए गए कुल 2,208 लाभार्थियों में से, 1,216 (55.07 प्रतिशत) ने एलईडी लैंप और 2,090 (94.66 प्रतिशत) ने ऊर्जा मीटर मिलने की सूचना दी। जबकि चार और सात लाभार्थियों ने क्रमशः एलईडी लैंप और ऊर्जा मीटर के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया, शेष 988 (44.75 प्रतिशत) और 111 (5.03 प्रतिशत) लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें क्रमशः एलईडी लैंप और उर्जा मीटर वितरण कम्पनियों द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

[1] आठ गाँवों में लाभार्थियों का सर्वेक्षण नहीं किया जा सका क्योंकि चार गाँवों का पता नहीं चल सका और अन्य चार गाँव या तो ऊर्जीकृत नहीं थे, या गाँव में कोई आबादी नहीं थी, या गाँव का नगर पालिका क्षेत्र में विलय कर दिया गया था, या विद्युतीकृत लाभार्थी नहीं मिले।

विद्युत आपूर्ति में वोल्टेज उतार-चढ़ाव

4.2.2 विद्युत आपूर्ति में वोल्टेज के उतार-चढ़ाव पर सर्वेक्षण प्रश्न के उत्तर में, 1,233 लाभार्थियों (55.84 प्रतिशत) ने स्थिर विद्युत आपूर्ति की सूचना दी। जबकि 50 लाभार्थियों ने कोई टिप्पणी नहीं दी, शेष 925 लाभार्थियों (41.89 प्रतिशत) ने उतार-चढ़ाव का अनुभव करने की पुष्टि की।

वितरण ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता

4.2.3 वितरण ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता पर सर्वेक्षण प्रश्न के उत्तर में, 181 ग्राम प्रधानों (80.80 प्रतिशत) ने अपने गाँवों में पर्याप्त संख्या में वितरण ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता की पुष्टि की। अग्रेतर, सात ग्राम प्रधानों ने अपनी टिप्पणी नहीं दी, जबकि शेष 36 ग्राम प्रधानों (16.07 प्रतिशत) ने अपने गाँवों में वितरण ट्रांसफार्मरों की अपर्याप्त उपलब्धता की सूचना दी।

गाँवों में वोल्टेज स्टेबलाइजर्स/इन्वर्टर्स का उपयोग

4.2.4 वोल्टेज स्टेबलाइजर्स/इन्वर्टर्स के उपयोग पर सर्वेक्षण प्रश्न के उत्तर में, 192 ग्राम प्रधानों (85.71 प्रतिशत) ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा वोल्टेज स्टेबलाइजर्स/इन्वर्टर्स का उपयोग नहीं किया जाता है। दो ग्राम प्रधानों ने अपनी टिप्पणी नहीं दी, जबकि शेष 30 ग्राम प्रधानों (13.39 प्रतिशत) ने ग्रामीणों द्वारा वोल्टेज स्टेबलाइजर्स/इन्वर्टर्स के उपयोग की सूचना दी।

उपभोक्ता वस्तुओं के उपयोग पर प्रभाव

4.2.5 सर्वेक्षण किए गए कुल 2,208 लाभार्थियों में से, 1,806 लाभार्थीयों (81.79 प्रतिशत) ने विद्युत संयोजन प्राप्त करने के बाद उपभोक्ता वस्तुओं जैसे पंखे, इस्त्री, टेलीविजन, फ्रिज, इत्यादि का उपयोग करने की सूचना दी। अग्रेतर, पाँच लाभार्थियों ने टिप्पणी नहीं दी, जबकि शेष 397 लाभार्थियों (17.98 प्रतिशत) ने कहा कि वे इन वस्तुओं का उपयोग नहीं कर रहे थे।

बच्चों के अध्ययन के घंटों पर प्रभाव

4.2.6 सर्वेक्षण किए गए कुल 2,208 लाभार्थियों में से 1,570 लाभार्थियों (71.11 प्रतिशत) ने संयोजन प्राप्त करने के बाद अपने बच्चों के अध्ययन के घंटों में वृद्धि की सूचना दी। अग्रेतर, 592 लाभार्थियों ने टिप्पणी नहीं दी। शेष 46 लाभार्थियों में से सात के कोई बच्चे नहीं थे तथा 39 ने संयोजन के बाद अपने बच्चों के अध्ययन के घंटों में कोई बदलाव या कमी नहीं होने की सूचना दी।

रात्रि में गतिशीलता/सुरक्षा पर प्रभाव

4.2.7 सर्वेक्षण किए गए कुल 2,208 लाभार्थियों में से, 2,184 लाभार्थियों (98.91 प्रतिशत) ने गाँवों के विद्युतीकरण के कारण रात्रि में गतिशीलता/ सुरक्षा में वृद्धि की सूचना दी। अग्रेतर, सात लाभार्थियों ने अपनी टिप्पणी नहीं दी, जबकि शेष 17 लाभार्थियों ने गाँवों के विद्युतीकरण के कारण रात्रि में गतिशीलता/सुरक्षा में किसी भी वृद्धि से मना किया।

विद्युत आपूर्ति पर प्रभाव

4.2.8 सर्वेक्षण किए गए कुल 2,208 लाभार्थियों में से, 1,919 लाभार्थियों (86.91 प्रतिशत) ने विद्युत आपूर्ति में सुधार की सूचना दी। अग्रेतर, जबकि 134 लाभार्थियों ने अपनी टिप्पणी नहीं दी, शेष 155 लाभार्थियों (7.02 प्रतिशत) ने विद्युत की आपूर्ति में किसी भी सुधार से मना किया।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (जनवरी 2024) के दौरान, प्रबंधन ने बताया कि लाभार्थी तकनीकी विषयों के विशेषज्ञ नहीं हैं और सर्वेक्षण के प्रश्नों पर उनकी प्रतिक्रियाएँ मानव व्यवहार सम्बन्धी तथ्यों पर निर्भर करती हैं। सरकार ने भी प्रबंधन के उत्तर को स्वीकार किया।

लेखापरीक्षा का विचार है कि सर्वेक्षण निष्पक्ष था, जैसा कि परिणामो में परिलक्षित होता है, जिसमें योजना के लाभों और उनके जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में लाभार्थियों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विचार सम्मिलित थे।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा द्वारा किए गए सर्वेक्षण ने सौभाग्य योजना के कार्यान्वयन तथा लाभार्थियों और गाँवों के जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। प्रतिक्रियाएँ, योजना के क्रियान्वयन में उपलब्धियों और कमियों, दोनों को उजागर करती हैं। यद्यपि, बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने विद्युतीकरण के कारण बच्चों के लिए अध्ययन के घंटों, गतिशीलता, सुरक्षा और उपभोक्ता वस्तुओं तक पहुँच में सुधार को स्वीकार किया, तथापि एलईडी लैंपों के अपर्याप्त प्रावधान और वोल्टेज में उतार-चढ़ाव जैसे प्रकरण भी देखे गए।

लखनऊ
दिनांक 22 सितम्बर 2025

(राजीव कुमार पाण्डेय)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II),
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 23 SEP 2025

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट-1.1
(प्रस्तर 1.8 में संदर्भित)
लेखापरीक्षित मण्डलों और खण्डों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. स.	वितरण कम्पनी का नाम	जिले का नाम	लेखापरीक्षित मण्डल का नाम	लेखापरीक्षित खण्ड का नाम
1.	एमवीवीएनएल	सुल्तानपुर	ईडीसी, सुल्तानपुर	ईडीडी-I, सुल्तानपुर
				ईडीडी-II, सुल्तानपुर
				ईडीडी, लम्भुआ
				ईडीडी, कादीपुर
				ईडीडी, जयसिंहपुर
		गोंडा	ईडीसी, गोंडा	ईडीडी-I, गोंडा
				ईडीडी, नवाबगंज
				ईडीडी-III, करनैलगंज
				ईडीडी-IV, मनकापुर
				ईडीडी, श्रावस्ती
		अयोध्या	ईडीसी, अयोध्या	ईडीडी-I, अयोध्या
				ईडीडी, रूदौली
				ईडीडी-II, अयोध्या
				ईडीडी-III, अयोध्या
		हरदोई	ईडीसी, हरदोई	ईडीडी-I, हरदोई
				ईडीडी-II, हरदोई
				ईडीडी, संडीला
				ईडीडी, शाहाबाद
		लखनऊ	ईयूडीसी-IV, लेसा	ईडीडी-I, सेस
				ईडीडी-II, सेस
				ईडीडी-III, सेस
				ईडीडी-IV, सेस
			ईयूडीसी-X, लेसा	ईयूडीडी, चिनहट
				ईयूडीडी, बक्शी का तालाब
		बलरामपुर	ईडीसी, बलरामपुर	ईडीडी, बलरामपुर
				ईडीडी, तुलसीपुर
2.	पीयूवीवीएनएल	गाजीपुर	ईडीसी, गाजीपुर	ईडीडी-I, गाजीपुर
				ईडीडी-II, गाजीपुर
				ईडीडी, सैदपुर
				ईडीडी, जमनिया
		आजमगढ़	ईडीसी-I, आजमगढ़	ईडीडी-I, आजमगढ़
				ईडीडी-II, आजमगढ़
				ईडीडी-III, आजमगढ़
			ईडीसी-II, आजमगढ़	ईडीडी, फूलपुर
				ईडीडी-V, आजमगढ़
				ईडीडी-VI, आजमगढ़
		वाराणसी	ईडीसी, वाराणसी	ईडीडी-I, वाराणसी
				ईडीडी-II, वाराणसी
				ईडीडी, चिरईगांव

क्र. स.	वितरण कम्पनी का नाम	जिले का नाम	लेखापरीक्षित मण्डल का नाम	लेखापरीक्षित खण्ड का नाम
		कौशाम्बी	ईडीसी, कौशाम्बी	ईडीडी, कौशाम्बी
				ईडीडी, चायल
3.	पीवीवीएनएल	बुलन्दशहर	ईडीसी-I, बुलन्दशहर	ईडीडी-II, बुलन्दशहर
				ईडीडी-IV, बुलन्दशहर
			ईडीसी-II, बुलन्दशहर	ईडीडी-I, बुलन्दशहर
				ईडीडी-V, बुलन्दशहर
				ईडीडी, सयाना
			ईडीसी-III, बुलन्दशहर	ईडीडी-III, बुलन्दशहर
				ईडीडी, डिबाई
				ईडीडी, जहांगीराबाद
		मुज़फ्फरनगर	ईडीसी-I, मुज़फ्फरनगर	ईडीडी-I, मुज़फ्फरनगर
				ईडीडी-II, मुज़फ्फरनगर
			ईडीसी-II, मुज़फ्फरनगर	ईडीडी, खतौली
				ईडीडी, भूडाना
4.	डीवीवीएनएल	फिरोजाबाद	ईडीसी, फिरोजाबाद	ईडीडी, फिरोजाबाद
				ईडीडी, टूंडला
				ईडीडी, शिकोहाबाद
				ईडीडी, जसराना
				ईडीडी, सिरसागंज
		मैनपुरी	ईडीसी, मैनपुरी	ईडीडी-I, मैनपुरी
				ईडीडी-II, मैनपुरी
				ईडीडी-III, मैनपुरी
		कानपुर देहात	ईडीसी, कानपुर देहात	ईडीडी, रनिया, कानपुर देहात
				ईडीडी, पुखराया
				ईडीडी, झींझक
		कन्नौज	ईडीसी, कन्नौज	ईडीडी, कन्नौज
				ईडीडी, छिबरामऊ

परिशिष्ट-2.1

(प्रस्तर 2.2.2 (i) में संदर्भित)

विभागीय रूप से आपूर्तित सामग्रियों पर एसजीएसटी का अधिक दावा दर्शाने वाला विवरण

विवरण	इकाई	गाज़ियाबाद	बुलन्दशहर	मेरठ	हापुड़	गौ.बु.नगर	बागपत	सहारनपुर	मुज़फ्फरनगर	शामली	बिजनौर	रामपुर	मुरादाबाद	संभल	जे.पी.नगर
क्लस्टर संख्या		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**	**3**	**3**	**4**	**4**	**4**
सिंगल फेज मीटर	संख्या	1095.00	32985.00	16343.00	6297.00	4201.00	5277.00	18000.00	10300.00	5236.00	42262.00	8600.00	17307.00	19827.00	12990.00
दोबारा जीएसटी प्रभारित करने के बाद एमओपी से दावा की गई सामग्री की इकाई दर	₹	1073.80	1073.80	1073.80	1073.80	1073.80	1073.80	1073.80	1073.80	1073.80	1073.80	1073.80	1073.80	1073.80	1073.80
स्टॉक इश्यू रेट के अनुसार सामग्री की इकाई दर (जीएसटी सहित)	₹	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00
दो बार प्रभारित जीएसटी	₹	163.80	163.80	163.80	163.80	163.80	163.80	163.80	163.80	163.80	163.80	163.80	163.80	163.80	163.80
एमओपी से प्रभारित अधिक जीएसटी		**179361**	**5402943**	**2676983**	**1031449**	**688124**	**864373**	**2948400**	**1687140**	**857657**	**6922516**	**1408680**	**2834887**	**3247663**	**2127762**
ट्विन कोर (अनआर्मर्ड) पीवीसी इंसुलेटेड केबल 4.00 वर्ग मिलीमीटर	मीटर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	20000.00	52218.00	38646.00	20000.00
दोबारा जीएसटी प्रभारित करने के बाद एमओपी से दावा की गई सामग्री की इकाई दर	₹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
स्टॉक इश्यू रेट के अनुसार सामग्री की इकाई दर (जीएसटी सहित)	₹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.34	20.34	20.34	20.34	20.34
दो बार प्रभारित जीएसटी	₹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66
एमओपी से प्रभारित अधिक जीएसटी		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146441**	**73220**	**191171**	**141484**	**73220**
8.5 मीटर पीसीसी पोल	संख्या	0.00	2022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दोबारा जीएसटी प्रभारित करने के बाद एमओपी से दावा की गई सामग्री की इकाई दर	₹	0.00	3210.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3210.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

विवरण	इकाई	गाज़ियाबाद	बुलन्दशहर	मेरठ	हापुड़	गौ.बु.नगर	बागपत	सहारनपुर	मुज़फ्फरनगर	शामली	बिजनौर	रामपुर	मुरादाबाद	संभल	जे.पी.नगर
स्टॉक इश्यू रेट के अनुसार सामग्री की इकाई दर (जीएसटी सहित)	₹	0.00	2721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दो बार प्रभारित जीएसटी	₹	0.00	489.78	0.00	0.00	0.00	0.00	489.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एमओपी से प्रभारित अधिक जीएसटी		**0**	**990335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**832626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
वीजल कंडक्टर	किलो मीटर	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दोबारा जीएसटी प्रभारित करने के बाद एमओपी से दावा की गई सामग्री की इकाई दर	₹	0.00	0.00	0.00	0.00	28301.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
स्टॉक इश्यू रेट के अनुसार सामग्री की इकाई दर (जीएसटी सहित)	₹	0.00	0.00	0.00	0.00	23984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दो बार प्रभारित जीएसटी	₹	0.00	0.00	0.00	0.00	4317.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एमओपी से प्रभारित अधिक जीएसटी		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33241.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
एलटी एबी केबल (3X50+1X35+1X16)	कि.मी.	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दोबारा जीएसटी प्रभारित करने के बाद एमओपी से दावा की गई सामग्री की इकाई दर	₹	0.00	163697.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
स्टॉक इश्यू रेट के अनुसार सामग्री की इकाई दर (जीएसटी सहित)	₹	0.00	138727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दो बार प्रभारित जीएसटी	₹	0.00	24970.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एमओपी से प्रभारित अधिक जीएसटी		**0.00**	**125603.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
185 वर्ग मिलीमीटर 11 केवी एक्सएलपीई केबल	मीटर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	1200.00	1930.00	0.00	0.00	0.00
दोबारा जीएसटी प्रभारित करने के बाद एमओपी से दावा की गई सामग्री की इकाई दर	₹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1051.38	0.00	0.00	1051.38	1051.38	0.00	0.00	0.00

विवरण	इकाई	गाज़ियाबाद	बुलन्दशहर	मेरठ	हापुड़	गौ.बु.नगर	बागपत	सहारनपुर	मुज़फ्फरनगर	शामली	बिजनौर	रामपुर	मुरादाबाद	संभल	जे.पी.नगर
स्टॉक इश्यू रेट के अनुसार सामग्री की प्रति इकाई दर (जीएसटी सहित)	₹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.00	0.00	0.00	891.00	891.00	0.00	0.00	0.00
दो बार प्रभारित जीएसटी	₹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.38	0.00	0.00	160.38	160.38	0.00	0.00	0.00
एमओपी से प्रभारित अधिक जीएसटी		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48114.00**	**0.00**	**0.00**	**192456.00**	**309533.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
300 वर्ग मिलीमीटर 11 केवी एक्सएलपीई केबल	मीटर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	560.00	0.00	0.00	0.00
दोबारा जीएसटी प्रभारित करने के बाद एमओपी से दावा की गई सामग्री की इकाई दर	₹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1397.12	1397.12	0.00	0.00	0.00
स्टॉक इश्यू रेट के अनुसार सामग्री की इकाई दर (जीएसटी सहित)	₹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1184.00	1184.00	0.00	0.00	0.00
दो बार प्रभारित जीएसटी	₹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.12	213.12	0.00	0.00	0.00
एमओपी से प्रभारित अधिक जीएसटी	₹	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**117002.88**	**119347.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
एमओपी पर प्रभारित कुल अधिक जीएसटी	₹	**179361.00**	**6518881.59**	**2676983.40**	**1031448.60**	**721365.62**	**864372.60**	**3829140.00**	**1687140.00**	**857656.80**	**7378415.16**	**1910780.94**	**3026057.58**	**3389146.26**	**2200982.34**
क्लस्टर वार कुल	₹						**11992412.81**			**6373936.80**		**9289196.10**			**8616186.18**
18 प्रतिशत की दर से प्रभारित अधिक जीएसटी का कुल योग															**36271732**
अनुदान के माध्यम से सीजीएसटी घटक के 60 प्रतिशत की दर से एमओपी से शुद्ध अधिक दावा अर्थात ₹ 1.09 करोड़ (₹ 36271732 / 2 X 60 प्रतिशत) और राज्य सरकार से पूर्ण एसजीएसटी अर्थात ₹ 1.81 करोड़ (₹36271732/2) कुल: ₹ 2.90 करोड़															

परिशिष्ट-2.2

(प्रस्तर 2.2.4 में संदर्भित)

आरईसी ऋणों पर ब्याज के अधिक भुगतान को दर्शाने वाला विवरण

(धनराशि ₹ में)

ऋण धनराशि	प्राप्ति दिनांक	अवधि		दिनों की संख्या	लागू ब्याज दर (प्रतिशत में)	भुगतान किया जाने वाला ब्याज	आरईसी द्वारा प्रभारित ब्याज दर (प्रतिशत में)	आरईसी को भुगतान किया गया ब्याज	ऋणों पर ब्याज का अधिक भुगतान
1074700000	19-09-2018	19-09-2018	19-09-2018	1	9.83	289433	10.58	311517	22084
1074700000		20-09-2018	19-12-2018	91	9.83	26338394	10.58	28347936	2009542
1074700000		20-12-2018	19-03-2019	90	9.83	26048961	10.58	28036420	1987459
1074700000		20-03-2019	19-06-2019	92	9.83	26627827	10.58	28659452	2031625
1074700000		20-06-2019	19-09-2019	92	9.83	26627827	10.58	28659452	2031625
1074700000		20-09-2019	19-12-2019	91	9.83	26338394	10.58	28347936	2009542
1074700000		20-12-2019	19-03-2020	91	9.83	26338394	10.58	28347936	2009542
1074700000		20-03-2020	19-06-2020	92	9.83	26627827	10.58	28659452	2031625
1074700000		20-06-2020	19-09-2020	92	9.83	26627827	10.58	28659452	2031625
1074700000		20-09-2020	19-12-2020	91	9.83	26338394	10.58	28347936	2009542
1074700000		20-12-2020	19-03-2021	90	9.83	26048961	10.58	28036420	1987459
1074700000		20-03-2021	19-06-2021	92	9.83	26627827	10.58	28659452	2031625
1074700000		20-06-2021	19-09-2021	91	9.83	26338394	10.58	28347936	2009542
योग						**317218460**		**341421297**	**24202837**
574600000	12-10-2018	12-10-2018	19-12-2018	68	9.83	10522894	10.58	11325760	802866
574600000		20-12-2018	19-03-2019	90	9.83	13927359	10.58	14989976	1062617
574600000		20-03-2019	19-06-2019	92	9.83	14236856	10.58	15323086	1086230
574600000		20-06-2019	19-09-2019	92	9.83	14236856	10.58	15323086	1086230
574600000		20-09-2019	19-12-2019	91	9.83	14082108	10.58	15156531	1074423
574600000		20-12-2019	19-03-2020	91	9.83	14082108	10.58	15156531	1074423
574600000		20-03-2020	19-06-2020	92	9.83	14236856	10.58	15323086	1086230
574600000		20-06-2020	19-09-2020	92	9.83	14236856	10.58	15323086	1086230
574600000		20-09-2020	19-12-2020	91	9.83	14082108	10.58	15156531	1074423
574600000		20-12-2020	19-03-2021	90	9.83	13927359	10.58	14989976	1062617
574600000		20-03-2021	19-06-2021	92	9.83	14236856	10.58	15323086	1086230
574600000		20-06-2021	19-09-2021	92	9.83	14236856	10.58	15323086	1086230
योग						**166045072**		**178713821**	**12668749**
500100000		15-10-2018	19-12-2018	65	9.83	8754490	10.58	9422432	667942
500100000		20-12-2018	19-03-2019	90	9.83	12121602	10.58	13046444	924842
500100000		20-03-2019	19-06-2019	92	9.83	12390971	10.58	13336365	945394
500100000		20-06-2019	19-09-2019	92	9.83	12390971	10.58	13336365	945395
500100000		20-09-2019	19-12-2019	91	9.83	12256286	10.58	13191405	935118
500100000		20-12-2019	19-03-2020	91	9.83	12256286	10.58	13191405	935118
500100000		20-03-2020	19-06-2020	92	9.83	12390971	10.58	13336365	945394

ऋण धनराशि	प्राप्ति दिनांक	अवधि		दिनों की संख्या	लागू ब्याज दर (प्रतिशत में)	भुगतान किया जाने वाला ब्याज	आरईसी द्वारा प्रभारित ब्याज दर (प्रतिशत में)	आरईसी को भुगतान किया गया ब्याज	ऋणों पर ब्याज का अधिक भुगतान
500100000	15-10-2018	20-06-2020	19-09-2020	92	9.83	12390971	10.58	13336365	945394
500100000		20-09-2020	19-12-2020	91	9.83	12256286	10.58	13191405	935118
500100000		20-12-2020	19-03-2021	90	9.83	12121602	10.58	13046444	924842
500100000		20-03-2021	19-06-2021	92	9.83	12390971	10.58	13336365	945395
500100000		20-06-2021	19-09-2021	92	9.83	12390971	10.58	13336365	945395
योग						**144112378**		**155107725**	**10995347**
1074600000	28-12-2018	28-12-2018	19-03-2019	82	9.83	23731290	10.58	25541917	1810627
1074600000		20-03-2019	19-06-2019	92	9.83	26625349	10.58	28656785	2031436
1074600000		20-06-2019	19-09-2019	92	9.83	26625349	10.58	28656785	2031436
1074600000		20-09-2019	19-12-2019	91	9.83	26335944	10.58	28345298	2009354
1074600000		20-12-2019	19-03-2020	91	9.83	26335944	10.58	28345298	2009354
1074600000		20-03-2020	19-06-2020	92	9.83	26625349	10.58	28656785	2031436
1074600000		20-06-2020	19-09-2020	92	9.83	26625349	10.58	28656785	2031436
1074600000		20-09-2020	19-12-2020	91	9.83	26335944	10.58	28345298	2009354
1074600000		20-12-2020	19-03-2021	90	9.83	26046538	10.58	28033812	1987274
1074600000		20-03-2021	19-06-2021	92	9.83	26625349	10.58	28656785	2031436
1074600000		20-06-2021	19-09-2021	92	9.83	26625349	10.58	28656785	2031436
1074600000		20-09-2021	19-12-2021	91	9.83	26335944	10.58	28345298	2009354
योग						**314873698**		**338897631**	**24023933**
कुल योग						**942249608**		**1014140474**	**71890866**

टिप्पणी: वितरण कम्पनियों ने ऋण दस्तावेज के नियम एवं शर्तों के अनुसार तिमाही आधार पर ब्याज का भुगतान किया।

संक्षेपणों की सूची

संक्षेपणों की सूची

संक्षिप्त रूप	पूर्ण विवरण
एबी केबल	एरियल बंच्ड केबल
एटी एण्ड सी	समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक
बीओक्यू	बिल ऑफ क्वांटिटी
सीएजी	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
सीसीईए	आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति
सीजीएसटी	केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर
डीडीयूजीजेवाई	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
दिशा	जिला विकास समन्वय तथा अनुश्रवण समिति
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डीटी	वितरण ट्रांसफार्मर
डीवीवीएनएल	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
एफआरपी	वित्तीय पुनर्गठन योजना
उ.प्र. सरकार	उत्तर प्रदेश सरकार
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
एचटी	हाई-टेंशन
आईपीडीएस	एकीकृत विद्युत विकास योजना
केस्को	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड
एलटी	लो-टेंशन
एमएलए	विधानसभा सदस्य
एमओपी	ऊर्जा मंत्रालय
एमवीवीएनएल	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
एनओएफएन	नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क
पीसीसी	प्री-स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट
पीएफए	'सभी के लिए 24x7 बिजली'
पीएमए	परियोजना प्रबंधन एजेंसी
पीयूवीवीएनएल	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
पीवीवीएनएल	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
आरईसी	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड
रेस्पो	ग्रामीण विद्युतीकरण एवं द्वितीय प्रणाली नियोजन संगठन
आरजीजीवीवाई	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना
सौभाग्य	प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना
एसजीएसटी	राज्य वस्तु एवं सेवा कर
एसआईआर	स्टॉक इश्यू रेट्स
एसएलएससी	राज्य स्तरीय स्थायी समिति
एसपीवी	सौर फोटोवोल्टिक

संक्षिप्त रूप	पूर्ण विवरण
टीकेसी	टर्नकी संविदाकार
यूपीनेडा	उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण
यूपीपीसीएल	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
वैट	मूल्य वर्धित कर
डब्ल्यूसीटी	कार्य अनुबंध कर

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag2/uttar-pradesh